

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक WEEKLY

सं. 40] No. 40] नई दिल्ली, अक्तूबर 18-अक्तूबर 24, 2009, शनिवार/आश्विन 26-कार्तिक 2, 1931 NEW DELHI, OCTOBER 18—OCTOBER 24, 2009, SATURDAY/ASVINA 26—KARTIKA 2, 1931

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

> भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

विधि और न्याय मंत्रालय (विधि कार्य विभाग) शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 16 अक्तूबर, 2009

सा.का.नि. 147.—भारत के राजपत्र भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) तारीख 29 जुलाई, 2007 में प्रकाशित भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय (विधि कार्य विभाग) की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 155, तारीख 24 जुलाई, 2007 में अधिसूचना के हिन्दी पाठ के पृष्ठ 781 पर, —

- (1) आरोभिक पैरा में, ''(ज्येष्ठ निजी सचिव)'' के स्थान पर ''(निजी सचिव)'' पढ़ें ;
- (2) खंड 1, उपखंड (i) में, ''(ज्येष्ट निजी सचिव)'' के स्थान पर ''(निजी सचिव)'' पढ़ें; और

(3) खंड 2 में, ''(ज्येष्ठ निजी सचिव)'' के स्थान पर ''(निजी सचिव)'' पढ़ें

[फा. सं. ए-12018/1/2003-प्रशा. III (वि.का.)] एम. ए. खान युसफी, संयुक्त सचिव और विधि सलाहकार

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Department of Legal Affairs)
CORRIGENDA

New Delhi, the 16th October, 2009

G.S.R. 147.—In the notification of the Government of India, Ministry of Law and justice (Department of Legal Affairs) number G.S.R. 155 dated 24th July, 2007, published at pages 781, and 782, in the Gazette of India, Part-II, Section 3, sub-section (i) dated the 29th July, 2007, in the Hindi version of the notification, at page 781,—

- (1) in the opening paragraph, for "(Senior Private Secretaty)", read "(Private Secretary)";
- (2) in clause 1, sub-clause (i), for "(Senior Private Secretary)", read "(Private Secretary)"; and
- (3) in clause 2, for "(Senior Private Secretary)", read "(Private Secretary)".

[F. No. A-12018/1/2003-Admn. III(LA)]
M. A. KHAN YUSUFU, It. Secy.
& Legal Adviser

ग्रामीण विकास मंत्रालय

(ग्रामीण विकास विभाग)

नई दिल्ली, 14 अक्तूबर, 2009

सा.का.नि. 148.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए ग्रामीण विकास मंत्रालय आर्थिक अन्वेषक (श्रेणी 2) भर्ती नियम 2000 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ग्रामीण विकास मंत्रालय आर्थिक अन्वेषक (श्रेणी 2) पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2009 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. ग्रामीण विकास मंत्रालय, आर्थिक अन्वेषक (श्रेणी 2) भर्ती नियम, 2000 की अनुसूची में,
 - (i) स्तंभ 2 के अधीन प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात :— "06 *(2009) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है";
 - (ii) स्तंभ 4 के अधीन प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात :— ''वेतन बैंड में 9300-34,800+ ग्रेड वेतन 4200 रुपए'';
 - (iii) स्तंभ 5 के अधीन प्रविष्टि के स्थान पर, लागू नहीं होता, प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—
 - (iv) स्तंभ 11 के अधीन प्रविष्टियों में खंड (क) उप-खंड
 (ii) के स्थान पर निम्नलिखित उप-खंड रखे जाएंगे, अर्थात :—
 - (ii) ''वेतन बैंड 5200-20,200+ ग्रेड वेतन 2800 या समतुल्य के पद में छह वर्ष नियमित सेवा की है''; और
 - (v) स्तंभ 13 के अधीन प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात :— ''पष्टिकरण के लिए विभागीय प्रोन्नित समिति :
- 1. निदेशक/उपसचिव (भारसाधक प्रशासन)

---अध्यक्ष

2. अवर सचिव या तकनीकी प्रभाग में समतुल्य प्रास्थिति का एक अधिकारी

—सदस्य

 अन्य मंत्रालय/विभाग में तकनीकी समूह 'ग' पद प्रशासन का भारसाधक, अवर सचिव

---सदस्य

4. प्रशासन का भारसाधक अवर सचिव

—सदस्य

[सं. ए-12018/08/2009-स्था.-1] एस. एस. प्रसाद, अवर सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना सा का नि. सं. 386 तारीख 7 अक्तूबर, 2000 में प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT

(Department of Rural Development)

New Delhi, the 14th October, 2009

G.S.R. 148.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following Rules to amend the Economic Investigator (Grade-II) Recruitment Rules, 2000:—

- (1) (i) These Rules shall be called the Economic Investigator (Grade-II) Recruitment (Amendment) Rule, 2009.
 - (ii) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.
- (2) The existing entries in column 2, 4, 11(a)(ii) and 13 of the Schedule annexed to the Economic Investigator (Grade-II) Recruitment Rules, 2000 shall be substituted as follows:—

(i) Col. 2 06*(2009)
Subject to variation dependent on workload.

- (ii) Col. 4 "Rs. 9300-34,800+Grade Pay of Rs. 4200"
- (iii) Col. 5 Not Applicable
- (iv) Col. 11(a)(ii) with six years' regular service in posts in the Pay Band Rs. 5200-20200+Grade Pay Rs. 2800 or equivalent;
- (v) Col. 13

 If a Departmental Promotion
 Committee for confirmation/
 filling up by transfer on
 deputation exists, what is its
 composition.
- Director/Deputy Secretary In-charge —Chairman of Administration
- Under Secretary or an Officer of equivalent status in a technical division
- 3. Under Secretary In-charge
 of Administration of Technical
 Group 'C' posts in other
 Ministry/Department

-Member

4. Under Secretary In-charge of Administration

---Member

[No. A-12018/08/2009-Estt-I] S. S. PRASAD, Under Secy.

Note: The principal rules were published vide G.S.R. No. 386 dated 07-10-2000.

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय नई दिल्ली, 16 अक्तूबर, 2009

सा.का.नि. 149.—केन्द्रीय सरकार राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 2007 (2007 का 54) की धारा 30 के साथ पठित धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान के लिए निम्नलिखित पहला परिनियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ

- (1) इस परिनियम का संक्षिप्त नाम राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान का पहला परिनियम है।
- (2) ये राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान पर लागू होंगे।
- · (3) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं

इस पहले परिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो.—

- (क) ''अधिनियम'' से राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 2007 अभिप्रेत है;
- (ख) ''प्राधिकारी'', ''अधिकारी'', ''आचार्य'' से संस्थान के प्राधिकारी, अधिकारी और आचार्य अभिप्रेत है:
- (ग) ''डीन'' से संस्थान का डीन अभिप्रेत है:
- (घ) ''उप निदेशक'' से संस्थान का उप निदेशक अभिप्रेत है:
- (ङ) ''वित्त सिमिति'' से संस्थान की वित्त सिमिति अभिप्रेत है;
- (च) ''अध्यादेश'' से अधिनियम की धारा 32 के अधीन बनाया गया संस्थान का अध्यादेश अभिप्रेत है:
- (छ) ''छात्र'' से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने,—
- (1) संस्थान की किसी उपाधि या डिप्लोमा कार्यक्रम के लिए रजिस्ट्रीकरण कराया है और स्नातक नहीं है, अभ्यर्थिता से अपना नाम वापस नहीं लिया है, सुसंगत उपाधि या डिप्लोमा के लिए किसी जारी अपेक्षा का समाधान करने में जो असफल नहीं रहा है या जिसे अनुशासनात्मक प्रक्रिया के परिणामस्वरूप निष्कासित नहीं किया गया है: या

- (2) संस्थान में अध्ययन के लिए रजिस्ट्रीकरण कराया है किन्तु उपाधि या डिप्लोमा कार्यक्रम के लिए नहीं, और अध्ययन की अवधि पूरी नहीं की है, नाम वापस नहीं लिया है, या अनुशासनात्मक प्रक्रियाओं के परिणामस्वरूप निष्कासित नहीं किया गया है।
- (ज) प्रयुक्त उन शब्दों और फ्दों के, जो इसमें परिभाषित नहीं है किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में हैं।

3. महा-परिषद् की बैठकें

- (1) महा-परिषद् की बैठक, कलेण्डर वर्ष में कम से कम एक बार अध्यक्ष द्वारा नियत की जाने वाली तारीख़ को होगी, इस वार्षिक बैठक के अतिरिक्त, अध्यक्ष द्वारा अपने विवेक पर संस्थान से संबंधित किसी विशिष्ट मामले पर विचार करने के लिए महा-परिषद् की बैठकें बुलाई जा सकेंगी।
- (2) अध्यक्ष सिहत परिषद् के एक तिहाई सदस्य (भाग को अगली उच्चतर संख्या में संपूर्णित करते हुए) परिषद् की किसी बैठक के लिए गणपूर्ति होंगे।
- (3) अध्यक्ष, यदि उपस्थित हों, परिषद् की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता करेगा ।

परन्तु अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, उपस्थित सदस्य, अपने बीच से किसी सदस्य का चयन बैठक की अध्यक्षता करने के लिए करेंगे।

(4) परिषद् सचिव द्वारा प्रत्येक सदस्य को प्रत्येक बैठक की लिखित सूचना बैठक की तारीख से कम से कम तींन सप्ताह पहले दी जाएगी जिसमें बैठक का स्थान, तारीख और समय उल्लिखित होगा।

> परन्तु विशेष मामलों पर विचार करने के लिए आपात बैठ़क अध्यक्ष द्वारा अपने विवेक से बुलाई जा सकेगी।

परन्तु यह और कि जब कभी अधिनयम के उपबंधों या इन परिनियमों के उपबंधों के अधीन किसी व्यक्ति को बैठक की सूचना दिया जाना अपेक्षित हो तो ऐसे व्यक्ति को सूचना लिखित में या तो वैयक्तिक रूप से या पूर्व भुगतान किए गए प्रभारों पर रिजस्ट्रीकृत डाक से या स्पीड पोस्ट से या कूरियर सेवा द्वारा या अनुलिपि या, इलेक्ट्रानिक मेल द्वारा उसकी एक प्रतिलिपि भेजते हुए संस्थान की पुस्तिकाओं में, व्यक्ति के पता, इलेक्ट्रानिक पता या अनुलिपि संख्या वर्णित की जाएगी। यदि सूचना डाक द्वारा भेजी जाती है तो यह सूचना उस व्यक्ति को वितरित किए जाने के लिए भारतीय डाक और तार कार्यालय में या किसी कूरियर सेवा के पास जमा किए जाने पर यह समझा जाएगा कि उस सूचना को प्राप्त करने के हकदार व्यक्ति को दी जा चुकी है। बैठक की किसी सूचना में बैठक का

- स्थान, दिन और समय तथा अधिनियम या इन परिनियमों कानूनों द्वारा अपेक्षित किसी अन्य जानकारी का उल्लेख अवश्य किया जाएगा ।
- (5) सभी बैठकों के लिए, सिवाय उन बैठकों के जो अल्प अवधि की सूचना पर बुलाई जाती है, कार्यसूची, उप परिनियम (4) में यथानिर्दिष्ट परिषद् के सभी सदस्यों को बैठक की तारीख से कम से कम सात दिन पहले भेजी जाएगी । तथापि, आपात बैठकों की दशा में, कार्यसूची के बदले में बैठक बुलाने की सूचना में विचार किए जाने के लिए विशेष मामले का उल्लेख मात्र पर्याप्त होगा ।
- (6) किसी मद, जिसे कोई सदस्य उठाना चाहता है, का ब्यौरा परिषद् के सचिव के पास बैठक से कम से कम दस दिन पहले अवश्य ही पहुंचना चाहिए। तथापि, अध्यक्ष किसी ऐसी मद को शामिल करने की अनुमति दे सकेगा जिसके लिए सम्यक् रूप से नोटिस प्राप्त न हुआ हो।
- (7) प्रक्रिया के सभी प्रश्नों के संबंध में अध्यक्ष का विनिश्चय अंतिम होगा ।
- (8) परिषद् की बैठकों में विचारित सभी प्रश्नों का विनिश्चय अध्यक्ष सहित उपस्थित सदस्यों जिसके अंतर्गत अध्यक्ष भी है, की सर्वसम्मित या उनके बहुमत के सकारात्मक मत के द्वारा होगा । यदि मत बराबर में विभाजित हो जाते हैं तो अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा ।
- (9) महा-परिषद् का कार्यवृत्त परिषद् के सचिव द्वारा तैयार किया जाएगा और परिषद् के सभी सदस्यों को परिचालित किया जाएगा । सदस्यों द्वारा की गई किसी टिप्पणी या सुझाए गए संशोधनों सिहत कार्यवृत्त परिषद् की अगली बैठक में पुष्टि के लिए रखे जाएंगे । कार्यवृत्त की पुष्टि किए जाने और अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षर किए जाने के पश्चात् उन्हें एक कार्यवृत्त पुस्तिका में अभिलिखित किया जाएगा ।
- (10) परिषद् की किसी बैठक के समक्ष रखे जाने वाले किसी संकल्प के अतिरिक्त कोई भी संकल्प परिषद् के सभी सदस्यों के बीच परिचालित करके अंगीकृत किया जा सकता है और इस प्रकार परिचालित तथा सदस्यों, जिन्होंने ऐसे संकल्प के लिए अपने अनुमोदन या अस्वीकृति पर हस्ताक्षर कर दिए हों, द्वारा अंगीकृत कोई संकल्प उतना ही प्रभावी और बाध्यकर होगा यदि ऐसा कोई संकल्प परिषद् की किसी बैठक में पारित किया गया होता।

4. बोर्ड

(1) बोर्ड का कोई सदस्य, बोर्ड का सदस्य नहीं रहेगा यदि (क) उसकी मृत्यु हो जाती है, या (ख) वह अपनी

- सदस्यता से त्यागपत्र दे देता है, या (ग) वह विकृतचित्त हो जाता है, या (घ) वह दिवालिया हो जाता है, या (ङ) वह नैतिक अधमता में सॉलप्त होने के किसी फौजदारी अपराध में दोष सिद्ध हो जाता है, या (च) यदि नामनिर्दिष्ट करने वाले संगठन द्वारा उसे बोर्ड की सदस्यता से हटा दिया जाता है, या (छ) यदि निदेशक के मामले के भिन्न वह संस्थान में कोई पूर्णकालिक नियुक्ति स्वीकार कर लेता है, या (ज) वह अध्यक्ष से अनुपस्थिति की अनुमित के बिना बोर्ड की तीन क्रमिक बैठकों में उपस्थित होने में असफल रहता है।
- (2) बोर्ड का कोई सदस्य, सभापित को संबोधित किसी पत्र के द्वारा बोर्ड की सदस्यता से पद त्याग कर सकेगा जिसे वह सभापित इस त्याग पत्र को अपनी सिफारिश के साथ संबंधित नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी को अग्रेषित करेगा, और त्याग पत्र नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत किए जाने की तारीख से प्रभावी होगा। यदि सभापित त्यागपत्र की वांछा करते हैं तो वे अपना त्यागपत्र केन्द्रीय सरकार को संबोधित करेंगे, और उनका त्यागपत्र केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत किए जाने की तारीख से प्रभावी होगा।
- (3) संस्थान का रिजस्ट्रार बोर्ड के सिचव के रूप में, पदेन क्षमता में कार्य करेगा।
- (4) बोर्ड में प्रतिनिधियों को नामनिर्दिष्ट करने के लिए हकदार निकायों या व्यक्तियों को बोर्ड के सचिव द्वारा आमंत्रित करेगा, ऐसे आमंत्रण के जारी किए जाने की तारीख से सामान्यतया आठ सप्ताह से अनिधक युक्तियुक्त समय के भीतर नामांकन करना होगा। यही प्रक्रिया बोर्ड की आकस्मिक रिक्तियों को भरने के लिए अपनाई जाएगी।
- (5) अध्यक्ष को बोर्ड की सभापित की हैिसयत से किसी ऐसे व्यक्ति, जो शासी बोर्ड का सदस्य न हो, को बोर्ड की बैठक में उपस्थित होने के लिए आर्मित्रत करने की शक्ति प्राप्त होगी परन्तु ऐसे आर्मित्रती को ऐसी किसी बैठक में मतदान का हकदार नहीं होगा ।

5. बोर्ड की बैठकें

- (1) बोर्ड की बैठक िकसी कलेण्डर वर्ष के दौरान सामान्यतया चार बार आयोजित की जाएगी । तथापि, दो क्रमिक बैठकों के बीच तीन महीने से अधिक का अंतर नहीं होगा ।
- (2) बोर्ड की बैठक अध्यक्ष द्वारा, बोर्ड के सभापित की हैसियत से स्वप्रेरणा से या निदेशक के अनुरोध पर या अध्यक्ष सहित बोर्ड के विद्यमान सदस्यों जिसके अंतर्गत सभापित भी है, के कम से कम एक तिहाई सदस्यों की संख्या, जिसके किसी लघु भाग को निकटतम गुणज तक पूर्णींकत किया जाएगा, द्वारा हस्ताक्षरित मांग पर बुलाई जाएगी।

- (3) सभापित सिंहत बोर्ड का एक तिहाई (लघु भाग को निकटतक गुणज तक पूर्णांकित किया जाएगा) बोर्ड की किसी बैठक के लिए गणपूर्ति होगी।
- (4) बोर्ड की बैठकों में विचारित सभी प्रश्नों का विनिश्चय सर्वसम्मित या सभापित सहित उपस्थित सदस्यों, जिसके अंतर्गत सभापित भी है, के बहुमत के स्वीकारात्मक मत द्वारा होगा। यदि मतों का बराबर में विभाजित हो जाते हैं तो सभापित का मत निर्णायक होगा।
- (5) सभापित, यदि उपस्थित हो, बोर्ड की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता करेंगे:

परन्तुक यह कि सभापित की अनुपस्थिति में, उपस्थित सदस्य अपने में से किसी सदस्य का चयन, बैठक की अध्यक्षता करने के लिए करेंगे।

(6) संस्थान का रिजस्ट्रार बोर्ड के सचिव की हैसियत सं प्रत्येक बैठक की लिखित सूचना बैठक की तारीख सं कम से कम तीन सप्ताह पहले प्रत्येक सदस्य को भेजेगा । इस सूचना में बैठक के स्थान, तारीख और समय का उल्लेख होगा :

> परन्तु सभापित तत्काल विशेष या आकस्मिक मामले पर विचार करने के लिए अल्पकालिक सूचना पर बोर्ड की विशेष या आपातकालिक बैठक बुला सकेंगे।

परन्त यह और कि जब कभी अधिनियम या इन परिनियमों के उपबंधों के अधीन किसी व्यक्ति को बैठक की सूचना दिया जाना अपेक्षित हो तो ऐसे व्यक्ति को सूचना लिखित में या तो वैयक्तिक रूप से या पूर्व भुगतान किए गए प्रभारों पर रजिस्ट्रीकृत डाक से या स्पीड पोस्ट से या क्रियर सेवा द्वारा या अनुलिपि या, इलेक्ट्रानिक मेल द्वारा उसकी एक प्रतिलिपि भेजते हुए संस्थान की पुस्तिकाओं में, व्यक्ति के पते, इलैक्ट्रिनिक पते या अनुलिपि संख्या वर्णित की जाएगी, पर भेजका दिया जाना आवश्यक है। यदि सूचना डाक द्वारा भेजी जाती है तो यह सूचना उस व्यक्ति को वितरित किए जाने के लिए भारतीय डाक और तार कार्यालय में या किसी कूरियर सेवा के पास जमा किए जाने पर यह समझा जाएगा कि उस सूचना को प्राप्त करने के हकदार व्यक्ति को दी जा चुकी है। बैठक की किसी सूचना में बैठक का स्थान, दिन और समय तथा अधिनियम या इन परिनियमों कानूनों द्वारा अपेक्षित किसी अन्य जानकारी का उल्लेख अवश्य किया जाएगा।

(7) सभी बैठकों की कार्यसूची सिवाय उन बैठकों के जो अल्प अविध की सूचना पर बुलाई जाती है, उप पिरिनयम (6) में यथा निर्दिष्ट पिरेषद् के सभी सदस्यों को बैठक की तारीख से कम से कम सात दिन पहले भेजी जाएगी। तथापि, आपात बैठकों के मामले में कार्यसूची के बदले में बैठक बुलाने की सूचना में विचार किए जाने के लिए विशेष मामले का उल्लेख मात्र पर्याप्त होगा। कार्यसूची इलैक्ट्रानिक रूप से भेजा जा सकेगा।

(8) कार्यसूची में किसी मद के शामिल किए जाने की सूचना बैठक से कम से कम दस दिन पहले बोर्ड के सचिव के पास अवश्य पहुंच जानी चाहिए:

परन्तु सभापित किसी ऐसी मद् जिसके लिए सूचना प्राप्त नहीं हुई हो, सिम्मिलित करने की अनुमद्धः दे सकेगा।

- (9) प्रक्रिया के सभी प्रश्नों के संबंध में सभापित का विनिश्चय अंतिम होगा।
- (10) बोर्ड की किसी बैठक की कार्यवाही का कार्यवृत्त बोर्ड के सचिव की हैसियत से संस्थान के रिजस्ट्रार द्वारा तैयार किया जाएगा और बोर्ड के सभी सदस्यों को परिचालित किया जाएगा । सुझाए गए किसी संशोधन के साथ कार्यवृत्त, बोर्ड की अगली बैठक में पुष्टि के लिए रखा जाएगा । कार्यवृत्त की पुष्टि किए जाने और अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षर किए जाने के पश्चात् उसे कार्यवृत्त पुस्तिका में अभिलिखित किया जाएगा ।
- (11) कार्यवृत्त पुस्तिका कार्यालय के समय के दौरान हर समय बोर्ड के सदस्यों के निरीक्षण के लिए खुली रहेगी।
- (12) बोर्ड की किसी बैठक के समक्ष रखे जाने वाले किसी संकल्प के अतिरिक्त कोई भी संकल्प बोर्ड के सभी सदस्यों के बीच परिचालित करके अंगीकृत किया जा सकेगा और इस प्रकार परिचालित तथा सदस्यों जिन्होंने ऐसे संकल्प के लिए अपने अनुमोदन या अस्वीकृति पर हस्ताक्षर कर दिए हों, द्वारा अंगीकृत कोई संकल्प उतना ही प्रभावी और बाध्यकर होगा यदि ऐसा कोई संकल्प बोर्ड की किसी बैठक में पारित किया गया होता।
- (13) यदि बैठक के लिए नियत समय के पश्चात् पन्द्रह मिनट व्यतीत होने पर यदि गणपूर्ति नहीं होती, तो बैठक ऐसी तारीख के लिए स्थिगत की जा सकेगी जिसे सभापति निर्धारित करें। गणपूर्ति के अभाव के कारण स्थिगत किसी बैठक के लिए कोई गणपूर्ति आवश्यक नहीं होगी।
- (14) इलैक्ट्रानिक संचार माध्यमों के सभी जगह उपलब्ध होने और आसानी से उपलब्ध होने से सदस्यगण, उनके संगठन में अथवा उनके शहर में किसी स्टूडियों में यथा उपलब्ध श्रव्य, दृश्य या वेब आधारित पद्धतियों, जिनके लिए भुगतान की प्रतिपूर्ति संस्थान द्वारा की जाएगी, के माध्यम से किसी बैठक में भाग ले सकेंगे। इस से समय, समग्र लागत में बचत, अपेक्षाकृत अधिक सदस्यों की भागीदारी, किसी बैठक को स्थगित किए जाने की कभी के सभी लाभ मिलते हैं। इससे अंतर्राष्ट्रीय

सदस्यों को भी सम्मिलित किए जाने में सहायता मिलेगी।

6. बोर्ड के आदेशों और निर्णयों का अधिप्रमाणन

बोर्ड के सभी आदेश और विनिश्चय, का अधिप्रमाण्नन बोर्ड के सचिव की हैसियत में रिजस्ट्रार के हस्ताक्षर द्वारा या बोर्ड के संकल्प द्वारा इस निमित्त बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्तिन्दी हस्ताक्षर द्वारा होगा।

7. सिनेट का गठन और अवधि

- (1) सिनेट में निम्नलिखित सदस्य होंगे :-
 - (क) निदेशक, सिनेट का पदेन अध्यक्ष;
 - (ख) उप निदेशक, पदेन;
 - (ग) संस्थान के डीन, पदेन;
 - (घ) संस्थान के सभी विभागों का प्रतिनिधित्व करने वाले पच्चीस आचार्यों जो चक्रानुक्रम के आधार पर दो वर्ष की अविध के लिए:
 - (ङ) विभाग और अनुसंधान केन्द्र के प्रधान, पदेन
 - (च) पेट्रोलियम और ऊर्जा के क्षेत्र में तीन तक विख्यात विशेषज्ञ जिनको शिक्षा, अनुसंधान इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के संबंध में विशेषज्ञीय ज्ञान या प्रचालात्मक अनुभव हो, निदेशक के साथ परामर्श करके अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे; और
- (2) पदेन हैंसियत से भिन्न सिनेट के सभी सदस्य उनके नामनिर्दिष्ट की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए सदस्य के रूप में सेवा करेंगे।
- (3) कोई भी पदेन सदस्य उस समय सिनेट का सदस्य नहीं रहेगा जब वह उस पद को रिक्त कर देगा जिसके कारण वह सिनेट का सदस्य है।
- (4) उपर्युक्त उप-परिनियम (2) के उपबन्धों के होते हुए भी, एक आकस्मिक रिक्त पद को भरने के लिए नामनिर्दिष्ट कोई सदस्य, उस सदस्य की शेष अवधि के लिए सदस्य बना रहेगा, जिसके स्थान पर उसे नामनिर्दिष्ट किया गया है।
- (5) संस्थान का कोई भी कर्मचारी, उपर्युक्त उप-परिनियम (1) के खंड (च) के अधीन सिनेट का सदस्य होने का पात्र नहीं होगा।
- (6) निदेशक सिनेट के अध्यक्ष के रूप में ऐसे किसी व्यक्ति को जो सिनेट का सदस्य नहीं है, सिनेट की बैठक में आमंत्रित करने के लिए सशक्त होगा किन्तु ऐसा आमंत्रित व्यक्ति ऐसी बैठक में मत देने का हकदार नहीं होगा ।
- (7) संस्थान का रंजिस्ट्रार पदेन हैसियत से सिनेट के सचिव के रूप में कार्य करेगा।

8. सिनेट की शक्तियां

अधिनियम के उपबन्ध के अधीन रहते हुए, सिनेट को निम्नलिखित शिक्तियां होंगी :-

- (1) संस्थान के विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों के लिए, अध्ययन के पाठ्यक्रमों के लिए पाठ्यचर्या और पाठ्य-विवरण बनाना और संशोधन करना:
- (2) विभागों और केन्द्र के बीच शिक्षण की पद्धित, सहकारी शिक्षण के संबंध में अनुदेश देना, अनुसंधान का मृल्यांकन करना और शैक्षिक स्तरों में सुधार करना;
- (3) परीक्षाओं का संचालन कराने के लिए व्यवस्था करना; परीक्षकों, अनुसीमकों, सारणीकारों और समान पदों की नियुक्ति करना;
- (4) परीक्षाओं के परिणाम घोषित करना या ऐसा करने के लिए समितियों या अधिकारियों की नियुक्ति करना और डिग्नियों, डिप्लोमा, प्रमाण पत्रों और अन्य विद्यासंबंधी उपाधियों और उपाधियों को प्रदान करने या अनुमत करने के संबंध में सिफारिशें करना;
- (5) ऐसे मामलों के लिए अध्यादेश बनाना जिनके लिए अधिनियम और संस्थान के परिनियमों द्वारा यथा विनिर्दिष्ट अध्यादेशों की व्यवस्था की जानी है;
- (6) किसी शैक्षिक मामले से सम्बद्ध उनके कार्यचालन पर सिफारिशें करने के लिए विभागों, अनुसंधान केन्द्र और केन्द्रीय शैक्षिक सुविधाओं या इकाइयों के लिए सलाहकार सिमितियों या विशेषज्ञ सिमितियों या दोनों की नियुक्ति करना;
- (7) सिनेट के सदस्यों, संस्थान के अन्य शैक्षिक स्टाफ और बाहर के विशेषज्ञों को मिलाकर समितियां नियुक्त करना ताकि ऐसा विशिष्ट मामला जो सिनेट द्वारा ऐसी समिति को भेजा गया है, पर परामर्श प्राप्त हो सके;
- (8) उप-परिनियम (7) और (8) के अधीन नियुक्त परामर्शदात्री या विशेषज्ञ या अन्य समितियों की सिफारिशों पर विचार करना और बोर्ड को ऐसी सिफारिशों करने के साथ ऐसी कार्रवाई करना जैसा कि प्रत्येक मामले की परिस्थितियों में अपेक्षित हो;
- (9) विभागों, अनुसंधान केन्द्रों और केन्द्रीय शैक्षिक सुविधाओं या इकाइयों के कार्यकलापों की आवधिक पुनर्विलोकन करना और बोर्ड को सिफारिशें करने सिहत उपर्युक्त कार्रवाई करना;
- (10) पुस्तकालय, कम्प्यूटर केन्द्र और अन्य शैक्षिक सुविधाओं या इकाइयों के कार्यों का पर्यवेक्षण करना;
- (11) संस्थान में अनुसंधान और परामर्शी पद्धति को बढ़ावा देना और ऐसी प्राप्त जानकारी को समुदाय में प्रचारित करना;
- (12) कक्षाओं और छात्रों के निवास के छात्रावासों और हालों के अनुदेशों और उनमें अनुशासन के संबंध में निरीक्षण करना, संस्थान के छात्रों की सह-पाठ्यक्रम कार्यकलापों का पर्यवेक्षण करना और बोर्ड को उस पर रिपोर्टे प्रस्तुत करना;

- (13) संस्थान के छात्रों के लाभ के लिए वैज्ञानिक परामर्श की और परामर्श संबंधी कार्यक्रमों की व्यवस्था करना;
- (14) अध्यादेशों और ऐसी अन्य शर्तों के अनुसार वृत्तिका, छात्रवृत्तियां, पदक और पुरस्कार देना और जो विशेष पुरस्कार के साथ संलग्न हैं, तथा अन्य पुरस्कार बनाना;
- (15) (i) संस्थान में और छात्रावासों में निवास के लिए और निवास के हालों में, अध्ययन कार्यक्रमों के लिए शुल्कों और अन्य प्रभारों; (ii) संस्थान के विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों में छात्रों के प्रवेश; (iii) शैक्षिक कर्मचारीवृंद के पदों का सृजन और उनको समाप्त करनें; और (iv) ऐसे पदों की परिलब्धियों और उनसे जुड़े कर्तव्यों के संबंध में बोर्ड को सिफारिशें करना;
- (16) शैक्षिक, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, उद्योग, कला, खेल, साहित्य, समाज सेवा और अन्य क्षेत्रों में प्रसिद्ध व्यक्तियों को मानद उपाधियां देने के लिए शासी परिषद को नामों की सिफारिशें करना;

9. सिनेट की बैठकें

- '(1) सिनेट की बैठकें जितनी बार भी आवश्यक होंगी किन्तु किसी भी कलैंडर वर्ष के दौरान चार बार से कम नहीं होंगी।
 - (2) निदेशक, सिनेट के अध्यक्ष की हैसियत से स्वप्रेरणा से अपनी पहल पर या कम से कम पांच सदस्यों या 20 प्रतिशत सदस्यों, इनमें जो भी अधिक हो, द्वारा हस्ताक्षरित मांग पर, सिनेट के अध्यक्ष के रूप में अपनी हैसियत में सिनेट की बैठकें बुलाएगा। मांग पर अध्यपेक्षित बैठक विशेष बैठक हेगी, उसमें उसी कार्यसूची पर ही विचार-विमर्श किया जाएगा, जिनके लिए बैठक आयोजित करने की अध्यपेक्षा की गई है। सिनेट का अध्यक्ष ऐसी अध्यपेक्षा करने के पंद्रह दिनों के भीतर अपनी सुविधाजनक तारीख और समय पर, अध्यपेक्षित बैठक का आयोजन करेगा।
 - (3) सिनेट की बैठक के लिए गठपूर्ति, जिसमें अध्यक्ष भी है, सिनेट का एक तिहाई (लघु भाग को निकटतम गुण तक पूर्णावित कर दिया जाएगा) होगा;
 - (4) निदेशक यदि उपस्थित हो, सिनेट की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता करेगा;

परन्तु निदेशक की अनुपस्थिति में, उप निदेशक अध्यक्षता करेगा और निदेशक और उप निदेशक की अनुपस्थिति में जेष्ठ आचार्य बैठक की अध्यक्षता करेगा।

(5) सिनेट का सचिव बैठक से कम से कम दो सप्ताह पूर्व सिनेट के सदस्यों को प्रत्येक बैठक की लिखित सूचना भेजेगा । सूचना में बैठक की तारीख, समय और स्थान उल्लिखित होगा;

परन्तु, तथापि, सिनेट का अध्यक्ष तात्कालिक विशेष मुद्दों पर विचार करने के लिए अल्पाविध नोटिस पर, सिनेट की विशेष या आपातकालीन बैठक बुला सकेगा;

परत यह और भी कि कभी अधिनियम या इन परिनियमों के उपबंधों के अधीन किसी व्यक्ति को सूचना दिया जाना अपेक्षित हो तो, ऐसं व्यक्ति को सूचना लिखित में या तो वैयक्तिक रूप से या पूर्णभुगतान किए गए प्रभारों पर रजिस्ट्रीकृत डाक से या स्वीड पोस्ट से या क्रियर सेवा डाक या अनुलिपि या इलेक्ट्रानिक मेल या पुस्तिकाओं में व्यक्ति के पते, इलेक्ट्रोनिक पता या संस्थान की पर इलेक्ट्रानिक पता, या अनुलिपि संख्या प्रदर्शित की जाए । यदि सूचना डाक द्वारा भेजी जाती है, तो यह सूचना उस व्यक्ति को वितरित किए जाने के लिए भारतीय डाक और तार कार्यालय या कृरियर सेवा के पास जमा किए जाने पर, उसके लिए हकदार व्यक्ति को दी जा चुकी है । बैठक के नोटिस में बैठक का स्थान, यह समझा जाएगा कि उस सूचना को प्राप्त करने के दिन तथा समय और अधिनियम या इन परिनियमों द्वारा अपेक्षित अन्य सूचना का विशेष रूप से उल्लेख होगा ।

- (6) उप-परिनियम (5) में यथा उल्लिखित अल्पाकालीन सूचना पर बुलाई जाने वाली बैठकों को छोड़ कर, सभी बैठकों की कार्यसूची सिवाय उन बैठकों के जो अल्प अवधि की सूचना पर बुलाई जाती है उप परिनियम (5) में यथाविनिर्दिष्ट सभी इस प्रकार से भेजी जाएगी कि बैठक की तारीख से कम से कम एक सप्ताह पहले सभी सदस्यों के पास पहुंच जाए। परन्तु तथापि विशेष या आपातकालीन बैठकों की दशा में मद की विस्तृत टिप्पण के स्थान पर विशेष मुद्दे का उल्लेख करना ही पर्याप होगा।
- (7) कार्यसूची में मदों को सम्मिलित करने के लिए प्रस्ताव, यदि कोई हो, की सूचना सिनेट के सिचव को व्यक्तिगत रूप से सदस्य द्वारा बैठक की तारीख से कम से कम दस दिन पूर्व संसूचित की जाएगी। परंतु, तथापि, सिनेट के अध्यक्ष द्वारा किसी मद को सम्मिलित करने के लिए जिसके लिए सम्यक नोटिस उपर्युक्त नियत समय सीमा के भीतर दिया गया है या जिसके लिए नोटिस समय सीमा के भीतर नहीं दिया गया है, अनुज्ञात कर सकेगा।
- (8) सिनेट की किसी भी बैठक में विनिश्चय या तो सर्वसम्मित से लिए जाएंगे या उपस्थित संदस्य जिसके अंतर्गत सिनेट का अध्यक्ष भी है, के बहुमत के सकारात्मक

- मतों से लिया जाएगा । यदि मत बराबर विभाजित होते हैं तो अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा ।
- (9) प्रक्रिया के सभी प्रश्नों के संबंध में सिनेट के अध्यक्ष का विनिश्चय अन्तिम होगा।
- (10) सिनेट द्वारा लिए गए किसी भी विनिश्चय पर सामान्यतया विनिश्चय की तारीख से एक वर्ष के भीतर, फिर से विजार नहीं किया जाएगा:

परन्तु सीनेट का अध्यक्ष आपवादिक परिस्थितियों में एक वर्ष के भीतर पुनर्विचार करने के लिए प्रस्ताव दे सकता है।

- (11) सीनेट की बैठक की कार्यवाही का कार्यवृत्त सीनेट के सिचव द्वारा तैयार किया जाएगा और भारत में उपस्थित, सीनेट के सभी सदस्यों को तीन कार्य दिवसों के भीतर परिचालित किया जाएगा, परन्तु यदि सीनेट का यह विचार हो कि ऐसा परिचालन संस्थान कि हितों के विरूद्ध है, तो कार्यवृत्त परिचालित नहीं किया जाएगा। कार्यवृत्त को सदस्यों की टिप्पणियों सिहत या उनके बिना भी आगामी तीन दिनों के भीतर अन्तिम रूप दिया जाएगा। सदस्यों द्वारा सुझाए गए संशोधन, यदि कोई है, के साथ कार्यवृत्त को सिनेट की आगामी बैठक में पुष्टि के लिए रखा जाएगा। कार्यवृत की पुष्टि और सिनेट के अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षर करने के बाद, उन्हें कार्यवृत्त के रिजस्टर में दर्ज किया जाएगा जो कार्यालय समय में हर वक्त सिनेट के सदस्यों और शासी बोर्ड के निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेगा।
- (12) सीनेट की प्रत्येक बैठक की कार्यसूची और कार्यवृत्त की एक प्रति सीनेट द्वारा उसकी पुष्टि किए जाने के बाद, बोर्ड की अपनी जानकारी और विचार के लिए बोर्ड के सामने रखी जाएगी। सिनेट के किसी निर्णय या सिफारिश जिस पर बोर्ड का अनुमोदन अपेक्षित है, उसे अलग से चिन्हित किया जाएगा।
- (13) यदि कोई गैर पदेन सदस्य, सिनेट के अध्यक्ष की अनुमित के बिना सिनेट की तीन लगातार बैठकों में उपस्थित नहीं होता, तो वह सिनेट का सदस्य नहीं रहेगा।
- (14) तत्काल कार्रवाई के लिए अपेक्षित मामलों से संबंधित प्रस्तावों को निदेशक के अनुमोदन से सिनेट के सदस्यों को परिचालित किया जाएगा:

परन्तु जहां सिनेट के पांच सदस्य ऐसे प्रस्ताव के पक्ष में नहीं हैं या जहाँ पांच सदस्य यह चाहते हैं कि परिचालनाधीन मामले पर किसी बैठक में विचार-विमर्श किया जाए तो इस प्रयोजन के लिए एक विशेष बैठक बुलाई जा सकेगी या सिनेट की आगामी नियमित बैठक के समक्ष इस मामले को रखा जा सकेगा और इस दौरान उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी:

परन्तु यह और कि बैठक करने और निर्णय पर पहुँचने के बीच सिनेट को परिचालित सभी मामलों को पुष्टि के लिए सिनेट की आगामी बैठक में सूचित किया जाएगा।

10. वित्त समिति

- (1) एक वित्त सिमिति होगी, जो बोर्ड की स्थाई सिमिति होगी और अधिनियम की धारा 14 के अर्थान्तग संस्थान का प्राधिकरण भी होगा, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:—
 - (i) शासी बोर्ड अध्यक्ष का प्रेजिडेंट, पदेन अध्यक्ष;
 - पंट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय का एक नामनिर्देशिती जिसे विपत्तीय प्रबंधन में सुविज्ञाता हो;
 - (iii) महा-परिषद् का एक नामनिर्देशिती जिसकी वित्तीय प्रबंधन में सुविज्ञाता हो;
 - (iv) बोर्ड द्वारा अने सदस्यों में नामिनर्देशिती दो व्यक्ति जिनमें से कम-से-कम एक व्यक्ति का संप्रवर्तक कम्पनी से सम्बद्धता हो; और
 - (v) निदेशक, पदेन सदस्य
- (2) सिमिति बोर्ड को संस्थान के कृत्यों को प्रभावित करने वाले सभी वित्तीय मामले जिसके अन्तर्गत इसके वित्तीय निष्पादन की पुनर्विलोकन भी है, वार्षिक बजट अनुमान की जांच करना पर मोटे तौर पर, लेखाओं का वार्षिक विवरण और उसकी लेखा परीक्षा रिपोर्ट तुलन-पत्र तैयार करना, मार्ग दर्शक संसाधन संग्रह और निवेश प्रबंधन कार्य-नीतियां, और वित्तीय प्रबंधन के संबंध में ऐसे अन्य मामले जो बोर्ड समय-समय पर इसे सौंपे पर मोटे तौर पर परामर्श देने और सिफारिश करने के लिए सशक्त होंगी।
- (3) सिमिति की किसी कलेंडर वर्ष में कम-से-कम दो बैठकें होंगी।
- (4) उप-परिनियम (1) के मद (2) और मद (3) के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्यों की पदावधि नामनिर्देशन प्रधिकारी द्वारा उनके नामनिर्दिष्ट के समय विनिर्दिष्ट की जाएंगी।
- (5) सिमिति के तीन सदस्य सिमिति की बैठक के लिए गणपूर्ति करेंगे।
- (6) यदि उपस्थित अध्यक्ष समिति की बैठकों की अध्यक्षता करेगा। उसकी अनुपस्थिति में निदेशक बैठक की अध्यक्षता करेगा। दोनों के अनुपस्थित होने पर बैठक अगली तारीख तक स्थिगित कर दी जाएगी।

- (7) संस्थान का रिजस्ट्रार पदेन हैसियत में समिति के सचिव के रूप में कार्य करेगा।
- (8) बैठक की सूचना, कार्यसूची में मद शामिल करना और बोर्ड की बैठकों के लिए लागू कार्यवृत्त की पुष्टि के संबंध में इन परिनियमों के उपबंधों का, यथा संभव, समिति की बैठकों के संबंध में पालन किया जाएगा।
- (9) सिमिति की प्रत्येक बैठक की कार्यसूची और कार्यवृत्त की एक प्रति उसकी अपनी जानकारी के बाद बोर्ड के समक्ष रखी जाएगी। अध्यक्ष

11, अध्यक्ष

- (1) अध्यक्ष की नियुक्ति, केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित पांच सदस्यीय तलाश समिति की सिफारिश पर केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाएगी, जो निम्नलिखित से मिल कर बनेगी :--
 - (क) महा-परिषद् का अध्यक्ष जो समिति का संयोजकभी होगा;
 - (ख) प्रवर्तक कम्पनियों के दो प्रतिनिधि जो धर्मादा निधि के लिए अंशदान दे रहे हैं; महा-परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट अध्यक्ष और प्रबंध-निदेशक के स्तर पर; और
 - (ग) शासक बोर्ड द्वारा नामनिर्दिष्ट दो सदस्य।
- (2) अध्यक्ष सामान्यतः वह व्यक्ति होगा जिसने व्यावसायिक जीवन में विशिष्ट योग्यता प्राप्त की हो और उसे इसमें अधिमान्यता दी जाएगी यदि उनके पास पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी के विस्तृत कार्यक्षेत्र, जिसमें ऊर्जा तथा हाईड्रोकार्बन विकास भी सम्मिलित है, में शैक्षिक, अनुसंधान या प्रचालनात्मक अनुभव हो। इसके अतिरिक्त वह एक ऐसा व्यक्ति होगा जिसे व्यावसायिक शिक्षा की प्रकृति की पूरी जानकारी हो और जिसे लोक विश्वास प्राप्त हो।
- (3) अध्यक्ष तीन वर्षों की अवधि के लिए पदभार ग्रहण करेगा।
- (4) आपात स्थिति में अध्यक्ष, शासी परिषद् की शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा, और तत्पश्चात् उनकी ओर से स्वयं द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में बोर्ड को अनुमोदन के लिए सूचित करेगा।

12. निदेशक

- (1) निदेशक संस्थान का पूर्ण कालिक वैतनिक अधिकारी होगा।
- (2) निदेशक सामान्यतः वह व्यक्ति होगा जो पेट्रोलियम और उर्जा सेक्टर में कार्य में अनुभव के साथ अंतर्राष्ट्रीय और/या राष्ट्रीय स्तर पर अभिस्वीकृत शैक्षिक अग्रणी व्यक्ति होगा, जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में निदेशक के पद के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अनुभव रखता हो तथा जिसने

- स्वप्नदृष्टा तथा प्रेरणात्मक अग्रणी होने का पिछला वृतांत प्रदर्शित किया हो :--
- (3) निदेशक की नियुक्ति शासी परिषद् द्वारा स्थापित पांच सदस्यीय तलाश समिति की सिफारिशों पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री द्वारा की जाएगी तथा इस समिति में निम्नलिखित होंगे:-
 - (i) महा-परिषद् का अध्यक्ष, पदेन जो बैठक की अध्यक्षता करेगा:
 - (ii) अध्यक्ष पदेन, जो समिति का संयोजक भी होगा।
 - (iii) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), कानपुर का निदेशक;
 - (iv) भारतीय विज्ञान संस्थान बैंगलोर का निदेशक;
 - (v) प्रवर्तक कम्पनियों का एक प्रतिनिधि जो महा-परिषद द्वारा अध्यक्ष और प्रबंध-निदेशक के स्तर पर नामनिर्दिष्ट हो।
- (4) निदेशक की नियुक्ति संविदा आधार पर पांच वर्षों की अविध या उसकी सेवानिवृत्ति तक होगी। सेवानिवृत्ति की आयु सत्तर वर्ष होगी। तथापि नियुक्ति के समय यह सुनिश्चित किया जाएगा कि नियुक्त व्यक्ति निदेशक के रूप में कम से कम तीन वर्षों तक सेवाएं दे :
 - परन्तु पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री किसी निदेशक को, जिसकी अवधि का अवसान हो गया हो, ऐसी अवधि, जो कुल एक वर्ष से अधिक न हो, जैसाकि निर्देशों में विनिर्दिष्ट हो, के लिए पद पर बने रहने का निर्देश दे सकेंगे।
- (5) जहां निदेशक का पद मृत्यु, त्यागपत्र, सेवानिवृत्ति या किसी अन्य कारण से रिक्त होता है और उसे उप परिनियम (3) के उपबन्धों के अनुसार परम्परा से नहीं भरा जा सकता है, यहां पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय भारत सरकार की प्रज्ञापना के अधीन, अध्यक्ष जब तक निर्धारित उपबन्धों के अनुसार नए निदेशक की नियुक्ति होने पर वह कार्यभार संभाल नहीं लेता, उप निदेशक की नियुक्ति कर सकेंगे, या एक से अधिक उप निदेशक होने तक जयेष्टतम उपनिदेशक को विहित कानून उपबन्धों के अनुसार निदेशक के कर्तव्यों का निर्वाह करने के लिए पद ग्रहण करवा सकेंगा।

परन्तु यदि उप निदेशक उपलब्ध नहीं है तो जब तक नया निदेशक पद ग्रहण नहीं करता तब तक वरिष्ठतम डीन या वरिष्ठतम आचार्य की नियुक्ति निदेशक के कर्तव्यों का निर्वाह करने के लिए करनी होगी।

(6) निर्देशक की सेवा के निबंधन और शर्ते, जिसमें उसे अनुज्ञेय वेतन तथा अन्य भत्ते भत्ते है, समय-समय पर शासी परिषद् द्वारा यथा विहित होंगे।

13. निदेशक की शक्तियां और कर्त्तव्य

- (1) किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए किए गए बजट प्रावधानों के अधीन निदेशक को समय-समय पर बोर्ड द्वारा अधिकां प्रव की जा सकने वाली प्रक्रियाओं के अनुसार व्यय करने की शक्ति होगी।
- (2) निदेशक समय-समय पर बोर्ड द्वारा अधिकार्यत, प्रत्येक मद के लिए आर्थिक सीमा तक आंवर्ती बजट में सम्मिलित, विभिन्न मदों के संबंध में निधियों का विनियोजन करने की शक्ति प्राप्त होगी।

परन्तु ऐसे विनियोग से भविष्य के बजट में कोई वृद्धि और कोई दायित्व अंतर्विलित नहीं होगा।

परन्तु यह और भी ऐसे प्रत्येक विनियोजन, यथासंभव शीघ्र बोर्ड को ज्ञापित किया जाएगा।

- (3) निदेशक को कर्मचारिवृंद के किसी सदस्य को किए गए अधिक संदाय की वसूली अधिव्यजन की शक्ति होगी, जो भुगतान की तारीख से चौबीस महीनों के भीतर न काटा गया हो, जो समय-समय पर बोर्ड द्वारा निर्धारित आर्थिक सीमा में हो। ऐसी प्रत्येक अधिव्यजन के बारे में यथासंभव शीर्घ बोर्ड को ज्ञापित किया जाएगा।
- (4) निरंशक को जहां वह नियुक्ति प्राधिकारी है ऐसे अवसूलनीय हानियों और खोए और सामान्य टूट-फूट के अधीन सेवा योग्य न रह गई भण्डार वस्तुओं के अवसूलनीय मूल्य को बट्टे खाते में डालने की शक्ति होगी, जो अधिकक्षित की जा सकेगी समय-समय पर निर्धारित आर्थिक सीमाओं के भीतर होगा।
- (5) निदेशक को, जहां वह नियुक्ति प्राधिकारी है अधिनियम के उपबन्धों द्वारा उसमें विहित शिक्तियों के अधीन उन पदों के संबंध में जिनकी नियुक्तियां उनके द्वारा की जा सकती हैं चयन समिति की सिफारिशों पर किसी पदधारी के आरोंभक वेतन को वेतनमान के न्यूनतम से उच्च स्तर पर, जोकि पांच वेतनवृद्धि से अधिक न हो, निर्धारित करने की शिक्त प्राप्त होगी।
- (6) निदेशक को आकस्मिकता में से संदाय पर तकनीकिवदों और कामगारों को नियुक्त करने की शक्ति होगी, जिसमें अंतर्वालित परिलब्धियां केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित दैनिक मजदूरी दरों से अधिक नहीं होंगी।
- (7) निदेशक को, समय-समय पर बोर्ड द्वारा विनिश्चियत निबंधन और शर्तों पर, स्टाफ के सदस्यों को देश में किसी प्रशिक्षण अथवा निर्देश के कोर्स को करने के लिए भेजने की शक्ति होगी।

- (8) निदेशक को पूर्ण या आंशिक रूप से अनुपयुक्त समझी जाने वाली भवनों के लिए किराए में परिहार अथवा कमी स्वीकृत करने की शक्ति होगी।
- (9) निदेशक को किसी भवन को उसके उद्देश्य, जिसके लिए निर्मित थी, से भिन्न किसी अन्य प्रयोजन के लिए अस्थायी आबंटन स्वीकृत करने की शक्ति होगी।
- (10) अपवादिक दशा में, निधियों की उपलब्धता के अधीन रहते हुए निदेशक को अध्यक्ष के अनुमोदन से बोर्ड को ज्ञापन करने के अधीन, अस्थायी पदों को सृजित करने की शक्ति होंगी जोकि अनुमोदित वेतनमान पर दो वर्षों से अधिक अविध के लिए नहीं होंगे, परन्तुक यह कि ऐसा कोई पद सृजित नहीं किया जाएगा, जिसके लिए निदेशक नियुक्ति प्राधिकारी नहीं हैं।
- (11) निदेशक को भारत सरकार के लेखा संहिता की नियम मूल और अनुपूरक नियम तथा अन्य नियम के प्रयोजनों के लिए सरकार में विभागाध्यक्ष के रूप में शक्तियां प्राप्त होंगी, जिन्हें संस्थान के कारवाद के संचालन के लिए लागू किया जा रहा है अथवा लागू किया जा सकेगा।
- (12) यदि, किसी कारण से, रिजस्ट्रार अस्थायी रूप से एक महीने से अधिक अविध के लिए अनुपस्थित रहता है, निदेशक कार्यभार संभाल सकेगा या संस्थान के कर्मचारिवृंद के किसी भी सदस्य को जिसे वह सही समझे रिजस्ट्रार के किन्हीं कृत्यों को करने का कार्यभार सौंप सकेगा या समनुदेशित कर सकेगा।
 - परन्तु यदि किसी समय, रिजस्ट्रार की अस्थायी अनुपस्थिति एक महीने से अधिक हो जाती है तो बोर्ड, यदि उचित समझे तो एक महीने से अधिक अविध के लिए निदेशक को रिजस्ट्रार के रूप में कार्यभार संभालने अथवा समनुदेशित करने को प्राधिकृत कर सकता है।
- (13) संस्थान के लिए और उसकी ओर से सभी संविदाएं, सिवाए जो संस्थान और निदेशक के बीच हुआ हो, जब बोर्ड द्वारा इस निमित्त पारित संकल्प द्वारा प्राधिकृत किया गया हो, लिखित में होगी और संस्थान के नाम पर बनायी जाएंगी, तथा ऐसी प्रत्येक संविदा संस्थान की ओर से निदेशक द्वारा निष्पादित की जाएंगी, किन्तु ऐसी संविदा के अधीन निदेशक किसी भी संबंध में वैयक्तिक रूप से दायी नहीं होगा।
- (14) निदेशक, मुख्यालय से अपनी अनुपस्थिति के दौरान यात्रा भत्ता, आकस्मिकताएं और कर्मचारिवृदं के चिकित्सा उपचार के अग्रिम को स्वीकृत करने तथा अपनी ओर से बिलों पर प्रतिहस्ताक्षर करने के लिए उपनिदेशक या एक से अधिक उपनिदेशक होने पर किसी एक उपनिदेशक या किसी डीन या किसी उपस्थित वरिष्ठतम आचार्य को प्राधिकृत कर सकता है

और उसे निदेशक की ऐसी शक्तियां को ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है जो लिखित में उप निदेशकों में से एक या डीन में से किसी एक या ज्येष्ठ आचार्य को विशेष रूप से उसके द्वारा लिखित में प्रत्यायोजित की गई हों।

- (15) निदेशक अपने विवेक पर ऐसी समितियों का गठन कर सकता है जिन्हें वह उचित समझे।
- (16) अध्यक्ष के पद पर कोई रिक्ति उसकी मृत्यु, त्यागपत्र या अन्य कारण से या अध्यक्ष अपने कृत्यों का निर्वहन अनुपस्थिति, बीमारी या किसी अन्य कारण से करने में असमर्थ हो, तो अध्यक्ष निदेशक अधिनियम की धारा 19 के अधीन अध्यक्ष के कृत्यों को निदेशक समनुदेशित कर सकेगा।
- (17) निदेशक बोर्ड के अनुमोदन से, अधिनियम और परिनियमों द्वारा उसमें निहित शिक्तयों, उत्तरदायित्वों और प्राधिकारों को संस्थान के शैक्षिक अथवा प्रशासनिक कर्मचारिवृंद के एक या अधिक सदस्यों को प्रत्यायोजित कर सकेगा।
- (18) जिन मामलों में तुरन्त कार्रवाई अपेक्षित हो निदेशक, जो आवश्यक समझे, कार्रवाई कर सकेगा और बाद में कार्रवाई की रिपोर्ट, मामले के साधारण अनुक्रम में उस प्राधिकरण या निकाय को दे सकेगा।

14. उप निदेशक

- (1) उप निदेशक की नियुक्ति बोर्ड द्वारा गठित चयन सिमिति की सिफारिशों पर की जाएगी जिसमें अध्यक्ष सिहत स्तम्भ में कम से कम पांच सदस्य होंगे जो राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विशेषज्ञ होंगे।
- (2) नियुक्ति आरम्भ में तीन वर्षों की अवधि के लिए की जाएगी जो बोर्ड की सिफारिश पर एक वर्ष के लिए दो बार बढाई जा सकेगी।
- (3) उप निदेशक, संस्थान और उप निदेशक के बीच हुई सेवा की संविदा के निबंधन और शतों द्वारा शासित होगा।
- (4) संस्थान में निदेशक के पद पर रिक्तता के दौरान उप निदेशक को निदेशक की सभी शक्तियां प्राप्त होंगी।
- (5) उप निदेशक, निदेशक को शैक्षिक और प्रशासनिक कार्यों में उच्च विद्या और अनुसंधान के अन्य संस्थानों के साथ, तथा औद्योगिक उपक्रमों तथा अन्य नियोक्ताओं के साथ सम्पर्क करने में सहायता करेगा।

15. रजिस्ट्रार

(1) रिजस्ट्रार बोर्ड द्वारा इस प्रयोजन के लिए गठित चयन सिमिति की सिफारिश पर बोर्ड द्वारा नियुक्त होगा।

- (2) रिजस्ट्रार की परिलब्धियां और सेवाओं के निबंधन की अन्य शर्तें, जिनके अतर्गत सेवा को अधिवर्षिता की आयु भी है, वह होंगी जो समय-समय पर बोर्ड द्वारा अवधारित की जाए।
- (3) जब रिजस्ट्रार का कार्यालय रिक्त है या जब बीमारी, अनुपस्थिति या किसी अन्य कारण से रिजस्ट्रार अपने पद के कर्त्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है तो पद के कर्त्तव्यों का निर्वहन ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाएगा जिसे इस प्रयोजन के लिए निर्देशक द्वारा नियुक्त किया जाए।
- (4) रिजस्ट्रार, महा-पंरिषद, शासी बोर्ड, सिनेट, वित्तीय सिमित के पदेन सिचव के रूप में कार्य करेगा, किन्तु इन प्राधिकरणों में से किसी का सदस्य नहीं समझा जाएगा।
- (5) रजिस्ट्रार के निम्नलिखित कर्त्तव्य होंगे :
 - (क) संस्थान के अभिलेखों, सामान्य सील तथा ऐसी अन्य संपत्ति का अभिरक्षक होगा जिसे शासी बोर्ड उसके भार साधन में सुपुर्द करें;
 - (ख) संस्थान के विभिन्न प्राधिकरणों, जिसका वह पदेन सचिव है के साथ इन प्राधिकरणों द्वारा नियुक्त किसी समिति की बैठकों के संयोजन के लिए नोटिस जारी करना;
 - (ग) कार्यसूची मदों को परिचालित करना, कार्यवृत्त तैयार करना और निदेशक के अनुमोदन के पश्चात् उन्हें परिचालित करना;
 - (घ) संस्थान के विभिन्न प्राधिकरणों जिसका वह पदेन सचिव है, के साथ इन प्राधिकरणों द्वारा नियुक्त किसी समिति के लिए सभी बैठकों के कार्यवृत्त रखना:
 - (ङ) संस्थान के प्राधिकारियों की ओर से शासकीय पत्र-व्यवहार करना;
 - (च) संस्थान के प्राधिकरणों की बैठकों की कार्यसूची की प्रतियां जारी होने के साथ ही केन्द्रीय सरकार को भेजना और उसके पश्चात् ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त भेजना।
 - (छ) संस्थान द्वारा या उनके विरुद्ध वादों या विधिक कार्यवाहियों के लिए संस्थान का प्रतिनिधित्व करना, मुख्तारनामें पर हस्ताक्षर करना और अभिवचनों का सत्यापन करना या इस प्रयोजन के लिए अपना प्रतिनिधि प्रतिनियुक्त करना; और
 - (ज) परिनियम, या शासी बोर्ड या निदेशक द्वारा समय-समय पर सौंपे गए कर्त्तव्यों का अनुपालन

करना अध्यादेशों या संस्थान के विनियमों में विनिर्दिष्ट अन्य कर्त्तव्यों का अनुपालन करना।

(6) रिजस्ट्रार अपने कर्त्तव्यों के उचित निष्पादन के लिए निदेशुक के प्रति उत्तरदायी होगा।

16. डीन

डीन की नियुक्ति संस्थान के आचार्यों में से निदेशक की सिफारिशों पर बोर्ड द्वारा आचार्य के रूप में अपने कर्त्तव्यों के अतिरिक्त शैक्षणिक और प्रशासनिक प्रबंधन के विशिष्ट क्षेत्रों में निदेशक की सहायता करने के लिए की जाएगी।

शिक्षकों और अन्य कर्मचारिवृंद की संवर्ग संरचना और योग्यता

शिक्षण और अनुसंधान संकाय की संवर्ग संरचना और योग्यताएं वहीं होंगी, जो भारतीय प्रोद्योगिकी संस्थान द्वारा अपनाए जा रहे मानदण्डों को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर बोर्ड द्वारा विहित की जाए।

18. कर्मचारिवृंद के सदस्यों का वर्गीकरण

- (1) आकस्मिकता से संदत भुगतान कर्मचारियों के मामले के सिवाए, संस्थान कर्मचारिवृंद के सभी सदस्य निम्नलिखित रूप में वर्गीकृत होंगे:-
 - (क) शैक्षणिक कर्मचारिवृंद :-पद के अंतर्गत, निदेशक, उप निदेशक, आचार्य, सह आचार्य, सहायक आचार्य, अनुसंधान वैज्ञानिक, अभियंता (उच्च संवर्ग स्तरों के लिए मुख्य/प्रधान/ज्येष्ठ के उपसर्ग सहित) पुस्तकालयाध्यक्ष, उप पुस्तकालयाध्यक्ष और सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष भी हैं।
 - (ख) तकनीकी कर्मचारिवृंद: पद के अंतर्गत, कार्यशाला अधीक्षक, सहायक कार्यशाला अधीक्षक, मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी, सहायक प्रौद्योगिकी अधिकारी, प्रचालन/प्रणाली प्रबंधक, प्रणाली प्रोग्रामर, प्रोग्रामर, फोरमैन, तकनीकी सहायक, प्रयोगशाला सहायक, मेकेनिक, उद्यान सहायक, प्रारूपकार, संस्थान अभियंता, शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक, स्थानिक अभियंता और सहायक स्थानिक अभियंता और शोध सहयोगी भी हैं।
 - (ग) प्रशासिनक और अन्य कर्मचारिवृंद :-पद के अंतर्गत, रिजस्ट्रार, ज्येष्ठ प्रशासन अधिकारी, प्रशासन अधिकारी, सहायक प्रशासन अधिकारी, वित्त अधिकारी, मुख्य लेखा अधिकारी, लेखा अधिकारी, अधीक्षक, आशु-टंकक, कार्यालय

सहायक, चिकित्सा अधिकारी, भेषजज्ञ, परिचारिकाएं और केयरटेकर, भी हैं।

19. नियुक्तियां

(1) संस्थान के संस्वीकृत पद के प्रति सीधी भर्ती करने के साथ-साथ बोर्ड द्वारा अंगीकृत या प्रख्यापित किसी वृत्तिक अभिजर्द्धन स्कीम/योग्यता प्रोक्तिया स्कीम के अधीन किसी विद्यमान कर्मचारी का उच्च पद पर पदस्थ करने/प्रोन्तित के लिए, अधिनियम की धारा 28 में यथा विहित सक्षम नियुक्ति प्राधिकारी को सिफारिशें करने के लिए बोर्ड द्वारा या बोर्ड द्वारा इस प्रकार प्रत्यायोजित मामले में निदेशक द्वारा एक चयन समिति का गठन किया जाएगा। चयन की रीति अध्यादेश द्वारा शासित होंगी।

इससे ऊपर इन परिनियमों में अतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी निदेशक की सिफारिश पर, बोर्ड, ऐसी शर्तों और निबंधन पर, जिन्हें वह उचित समझे, संस्वीकृत पद के प्रति संस्थान में अनुसंधान संकाय संवर्ग में आचार्य या सह आचार्य या समतुल्य पद स्वीकार करने के लिए उच्च शैक्षणिक और व्यावसायिक विशेषता प्राप्त किसी व्यक्ति को आमंत्रित कर सकेगा।

(2) गैर शैक्षिणक कर्मचारिवृंद के लिए, सीधी भर्ती करते समय अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण के संबंध में भारत सरकार की नीतियों, जो संस्थान में अंगीकरण के लिए बोर्ड द्वारा यथा अनुमोदित होंगी, को ध्यान में रखा जाएगा।

20. स्थायी कर्मचारियों की सेवा की शर्तें और निबंधन

संस्थान के सभी कर्मचारी, संस्थान के इन परिनियमों और अध्यादेशों में यथा विनिर्दिष्ट सेवा की शर्तें और निबंधनों द्वारा शासित होंगे।

21. माध्यस्थम् के लिए प्रक्रिया

- (1) अधिनियम की धारा 34 के अधीन, किसी कर्मचारी, जिसका संस्थान में अपनी नियोजन संविदा के उपबन्धों के परिणामस्वरूप संस्थान से किसी प्रकार का विवाद हो जाता है, तो वह संबंधित विवाद को माध्यस्थम् अधिकरण में भेजे जाने के लिए लिखित में रजिस्ट्रार को अभ्यावेदन कर सकेगा।
- (2) विवाद को माध्यस्थम् अधिकरण भेजे जाने के लिए लिखित निवेदन की प्राप्ति पर, रजिस्ट्रार, अधिनियम की धारा 34 की उप-धारा (1) में यथा अधिकथित माध्यस्थम् अधिकरण का गठन करेगा।
- (3) माध्यस्थम् अधिकरण द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1998 में यथा अधिकथित अनुसार होगी।

22. शक्तियों का प्रत्यायोजन

अधिनियम और संस्थान के परिनियमों के उपबन्धों के अधीन, संस्थान का कोई अधिकारी या प्राधिकारी क्रमशः अपने नियंत्रण के अधीन किसी अन्य अधिकारी या प्राधिकारी को या संस्थान अपने नियंत्रण के अधीन किसी व्यक्ति को अपनी या उसकी शिक्तयों का प्रत्योजन इस शर्त के अधीन होगी कि, इस प्रकार प्रत्यायोजित शिक्तयों के प्रयोग के लिए सम्पूर्ण उत्तरदायित्व अधिकारी या ऐसी शिक्तयों के प्रत्यायोजन प्राधिकारी में निहित रहेंगी, कर सकता है।

23. डिग्रियां, डिप्लोमा, आदि को वापस लेना

बोर्ड सिनेट की सिफारिश पर, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से अन्यून द्वारा पारित किसी विशेष संकल्प द्वारा समुचित और पर्याप्त कारणों से संस्थान द्वारा प्रदान की गई किसी उपाधि या विद्या विशेष सम्मान या किसी प्रमाणपत्र या डिप्लोमा को वापस ले सकेगा:

परन्तु जब तक कि उक्त व्यक्ति को सूचना से यथा विनिर्दिष्ट, समय सीमा के भीतर कारण बताओ नोटिस जारी नहीं किया जाता हैं, कि ऐसा कोई संकल्प पारित क्यों नहीं किया जाए और जब तक उसकी कोई आपत्तियां, यदि कोई हों और उनके समर्थन में उसके द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों, पर बोर्ड द्वारा विचार नहीं कर लिया जाता, तब तक ऐसा कोई संकल्प पारित नहीं किया जाएगा।

24. मानद उपाधियां प्रदान करना और उन्हें वापस लेना

- (1) बोर्ड, सिनेट की सिफारिश पर, मानद उपाधियों को प्रदान किए जाने को अनुमोदित कर सकेगा।
- (2) बोर्ड, सिनेट की सिफारिश पर, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से अन्यून द्वारा पारित एक संकल्प द्वारा संस्थान द्वारा प्रदत्त किसी मानद उपाधि को समुचित और पर्याप्त कारणों से वापस ले सकेगा।

25. अध्ययन संकाय

- (1) संस्थान में शैक्षणिक क्रियाकलापों के पूर्ण रूप से क्रियात्मक होने पर, उन्हें निम्नलिखित अध्ययन संकाय के तत्वावधान के अधीन संगठित किया जाएगा:
 - (क) इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी संकाय,
 - (ख) प्रबंधन अध्ययन संकाय,
 - (ग) अनुप्रयुक्त विज्ञान और मानविकी संकाय,
 - (घ) बोर्ड द्वारा यथा अनुमोदित कोई अन्य संकाय।

- (2) इसमें ऊपर उप परिनियम (1) के अधीन उपबंधित अध्ययन संकाय, संस्थान की परिधि के अधीन स्नातक, स्नातकोत्तर की उपाधि, स्नातकोत्तर डिप्लोमा, और डाक्टर की उपाधि के स्तर पर विद्या की उपयुक्त शाखाओं में शैक्षणिक अनुसंधान कराने तथा अनुदेश देने के लिए उत्तरदायी होंगे।
- (3) उपर्युक्त उप परिनियम (1) को अधीन प्रत्येक संकाय के पास निम्नलिखित शीषों को अधीन वर्गीकृत कई घटक प्रमाण होंगे :--
 - (क) विभाग, जिनका प्राथमिक क्रियाकलाप अनुशासनिक और अन्तः अनुशासनिक शिक्षण और शैक्षणिक अनुसंधान के होंगे;
 - (ख) अनुसंधान केन्द्र, जिनका प्रमुख कार्य उपयोक्ता प्रणाली के लिए प्रौद्योगिकी का अंतरण करते हुए औद्योगिक और राष्ट्रीय महत्व के क्षेत्रों में प्रायोजित अनुसंधान और विकास करने का होगा, और
 - (ग) केन्द्रीय शैक्षणिक सेवा सुविधाएं या इकाइयां, जिनका प्राथमिक क्रियाकलाप छात्रों और एक से अधिक विभाग/अनुसंधान केन्द्र के संकाय द्वारा अपेक्षित विशिष्ट शैक्षणिक सुविधाओं के प्रबंधन का होगा।
- (4) बोर्ड को, सिनेट की सिफारिश पर, यह अधिकार होगा कि वह एक या अधिक विभाग या अनुसंधान केन्द्र या केन्द्रीय शैक्षणिक सेवा सुविधा या इकाई की स्थापना कर सकेगा या उसे बंद कर सकेगा।
- (5) संकाय के प्रधान के रूप में अध्ययन संकाय का अध्यक्ष उन विभागों और अनुसंधान केन्द्रों के शिक्षण और अनुसंधान क्रियाकलापों के समन्वयन के लिए उत्तरदायी होगा जो कि क्रमशः अध्ययन संकाय और वह शिक्षण और अनुसंधान मानकों को बनाए रखने के लिए संघटक इकाईयां होंगी। वह उन कर्तव्यों का भी निर्वहन करेगा, जो उसे निदेशक द्वारा समनुदेशित किए जाएं।
- (6) उप परिनियम (3) के अधीन यथा उपबंधित अध्ययन संकाय के प्रत्येक संघटित प्रभागों की अध्यक्षता परिनियमों में यहां निर्दिष्ट रीति से निदेशक द्वारा नियुक्त प्रधान द्वारा की जाएगी और ऐसा प्रत्येक प्रधान, अधिनियम की धारा 22 के अर्थ के अंतर्गत संस्थान का एक अधिकारी समझा जाएगा।
- (7) किसी विभाग की दशा में ऐसा प्रत्येक प्रधान, संबंधित विभाग के संकाय सदस्यों के साथ व्यक्तिगत परामर्श करने के पश्चात् निदेशक द्वारा संबंधित विभाग के आचार्यों और सह आयार्यों में से नियुक्त किया जाएगा। इसी प्रकार

अनुसंधान केन्द्रों की दशा में, संबंधित केन्द्र के संकाय सदस्यों के साथ व्यक्तिगत परामर्श करने के पश्चात् संबंधि त केन्द्र के अनुसंधान वैज्ञानिकों या इंजीनियरों के समतुल्य आचार्यों और सह आचार्यों में से प्रधान नियुक्त किया जाएगा।

- (8) केन्द्रीय शैक्षणिक सेवा सुविधाएं या इकाइयों की दशा में, समुचित विशेषज्ञता रखने वाले संस्थान संकाय या तकनीकी कर्मचारिवृंद में से निदेशक द्वारा प्रधान नियुक्त किया जाएगा।
- (9) उप परिनियम (5) में किसी उपबंध के होते हुए भी, जब निदेशक की राय में, प्रास्थिति की ऐसी मांग हो, तो निदेशक स्वयं किसी विभाग या अनुसंधान केन्द्र का अस्थायी प्रभार संभाल सकेगा या इसे छ: मास से अनाधिक अविध के लिए संबंधित अध्ययन संकाय के अध्यक्ष या उप निदेशक या किसी अन्य विभाग या अनुसंधान केन्द्र से आचार्य या मुख्य वैज्ञानिक या अभियंता के प्रभार में रखा जा सकेगा।
- (10) किसी प्रधान की पदाविध अपने कार्यालय में पदभार संभालने की तारीख से तीन वर्षों की होगी और वह एक पुन: नियुक्ति के लिए पात्र होगा।
- (11) निदेशक के साधारण नियंत्रण के अधीन प्रधान, विशिष्ट शैक्षणिक प्रभाग विशेष की संपूर्ण कामकाज के लिए उत्तरदायी होंगा। इसके अतिरिक्त, उसके प्रभार में आने वाले शैक्षणिक प्रभाग के लिए यथा स्थिति संस्थान के प्राधिकारियों और निदेशक के विनिश्चयों के सही प्रकार से क्रियान्वयन देखने का कर्तव्य भी प्रधान का होगा। निदेशक द्वारा यथा समनुदेशित ऐसे अन्य कर्तव्यों का निष्पादन भी वो करेगा।

26. संस्थान को मिलने वाले उपहार

शासी बोर्ड द्वारा अनुमोदित विनियमों के अनुसार उपहार स्वीकृति उपहार प्रसंस्करण, दाता अधिकार, निधियों का प्रबंधन सरकारी समरूप अभिदाय, उपहार का उद्देश्य नामोल्लेख अवसर, होंगे।

27. विद्यार्थियों के संबंध में अनुशासन

अनुशासनिक शिक्तयां, अनुशासनिक कार्यवाहियां करने के लिए प्रेरित करने वाली परिस्थितियां, संक्षिप्त कार्रवाई, अपीलें, विनिश्चय की सूचना, संस्थान का दायित्व और इस प्रकार सिनेट द्वारा अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार होंगे।

28. अनुसंधान केन्द्र

जब आवश्यकता हो तो, सिनेट के अनुमोदन से संस्थान द्वारा स्वयं या सरकार शैक्षणिक और/या औद्योगिक भागीदारों के साथ संयुक्त रूप से एक अनुसंधान केन्द्र स्थापित किया जाएगा। सिनेट द्वारा अवधारित कृत्यों के लिए और उच्च श्रेणी की स्वायत्ता का अनुसंधान केन्द्र का कार्य क्षेत्र, पहचान किए गए अनुसंधान क्षेत्रों में बड़े अनुसंधान करने और विशिष्टता विकसित करने के लिए विकास प्रयास करने होंगे जो बहु-अनुशासनिक प्रकृति के हैं तथा जिनका सहज प्रबंधन एक एकल संकाय या विभाग द्वारा नहीं किया जा सकता।

निदेशक अनुसंधान से संबंधित मुद्दों पर सलाह उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय और अंतरर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के एक सलाहकार बोर्ड का गठन कर सकेगा तथा की गई प्रगति की कालिक समीक्षा कर सकेगा।

अनुसंधान केन्द्र का प्रधान, निदेशक द्वारा नियुक्त डीन होगा।

अनुसंधान केन्द्र को सिनेट की सिफारिश पर बोर्ड द्वारा भंग किया जाएगा।

29. क्षतिपूर्ति

- (क) संस्थान के अवैतिनक अधिकारियों, परिषद् के सदस्यों सिमितियों या उप-सिमितियों के सदस्यों, निदेशक, लेखा परीक्षकों और अन्य जेष्ठ कर्मचारीवृंद को क्रमश: अपने कर्तव्यों के निर्वहन में या उनके बारे में उनके द्वारा उद्भूत होने वाले किन्हीं व्यय या दायित्वों के विरुद्ध संस्थान की निधियों से क्षतिपूर्ति की जा सकेगी।
- (ख) इन परिनियमों द्वारा उपबंधित या उनके अनुसरण में क्षतिपूर्ति उस व्यक्ति पर लागू रहेगी जो अन्य क्षतिपूर्ति व्यक्ति या निवेश बोर्ड का न्यासी, अधिकारी या सदस्य नहीं रहेगा और ऐसे किसी व्यक्ति के उत्तराधिकारियों, निष्पादकों या प्रशासकों के लाभ मिलना लागू रहेगा।

30. संस्थान का दायित्व

संस्थान, उसके अधिकारी, या कोई अन्य व्यक्ति, या उससे संबद्ध कोई अस्तित्व का किसी प्रकार की हानि, क्षतियों, दावों, विधि लागतों या अन्य व्यय, जो किसी संबंधित व्यक्ति को उठाने पड़े या करने पड़े, चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष (प्रतिष्ठा को किसी प्रकार की हानि या किसी लाभ की क्षति सहित) इस परिनियम या उससे संबंधित किसी सूचना के प्रकाशन या अधिसूचना के अनुसरण में अनुशासनिक कार्रवाई की सारांश कार्रवाई या प्रारम्भ की गई किसी अनुशासनिक कार्यवाहियों के लिए कोई दायित्व नहीं होगा।

> [फा. सं. आर-42024/21/2008-एमसी] सुनील जैन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

New Delhi, the 16th October, 2009

G.S.R. 149.—In exercise of the powers conferred by Section 29 read with Section 30 of the Rajiv Gandhi Institute of Petroleum Technology Act, 2007 (54 of 2007) the Central Government hereby frames the following First Statutes for the Rajiv Gandhi Institute of Petroleum Technology namely:—

1. SHORTTITLE, EXTENT AND COMMENCEMENT

- (1) These Statutes may be called the First Statutes of the Rajiv Gandhi Institute of Petroleum Technology.
- (2) They shall apply to the Rajiv Gandhi Institute of Petroleum Technology.
- (3) They shall come into force on the date of their Publication in the Official Gazette.

2. DEFINITIONS

In these First Statutes, unless the context otherwise requires,—

- (a) "Act" means the Rajiv Gandhi Institute of Petroleum Technology Act, 2007;
- (b) "Authorities", "Officers", "Professors" mean respectively, the authorities, officers and professors of the Institute;
- (c) "Deans" means the Deans of the Institute;
- (d) "Deputy Director" means the Deputy Director of the Institute;
- (e) "Finance Committee" means the Finance Committee of the Institute;
- (f) "Ordinances" mean the Ordinances of the Institute made under Section 32 of the Act;
- (g) "Student" means a person who has,-
 - (1) registered for a degree or diploma programme of the Institute, and has not graduated, withdrawn from candidature, failed to satisfy any continuation requirement for the relevant degree or diploma, or been expelled as a result of disciplinary proceedings; or
 - (2) registered to study at the Institute but not for a degree or diploma programme, and has not completed the period of study, withdrawn, or been expelled as a result of disciplinary proceedings; or
- (h) words and expresssions used herein and not defined but defined in the Act, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. MEETINGS OF THE GENERAL COUNCIL

- (a) The General Council shall meat atleast once in a calendar year on a date to be fixed by the Chairperson. Besides this annual meeting, special meetings of the General Council may be convened by the Chairperson at his discretion to consider any special matter with regards the Institute.
- (2) One-third of Council including the Chairperson (Fraction being rounded off to the next higher number) shall be the quorum for a meeting of the Council.
- (3) The Chairperson, if present, shall preside over every meeting of the Council:

Provided that in the absence of the Chairperson, the members present shall elect a member from amongst themselves to preside at the meetings.

(4) A written notice of every meeting shall be sent by the Secretary of the Council to every member at least three weeks before the date of the meeting mentioning therein the place, the date and time of the meeting:

Provided that emergency meetings to consider special matters may be convened by the Chairperson at his decretion:

Provided further that whenever notice of a meeting is required to be given to any person under provisions of the Act, or of these Statutes, it shall be given in writing to such person either personally or by sending a copy thereof by registered mail or speed post or courier service charges pre-paid, or by facsimile or electronic mail, to the person's address, electronic address, or facsimile number appearing on the books of the Institute. If the notice is sent by mail, it shall be deemed to have been given to the person entitled there to when deposited in the Indian Post and Telegraph mail or with a courier service for delivery to that person. A notice of meeting shall specify the place, day, and hour of the meeting and any other information required by the Act or these Statutes.

(5) The agenda for all meetings, except those convened at short notice, as referred to in substatutes (4), shall be sent to all members of the Council at least seven days before the date of the meeting. However, in case of emergency meetings mere mention of the special issue to be considered in the notice convening the meeting shall suffice in lieu of the agenda.

- (6) Details of any item that a member wishes to raise must reach the Secretary of the Council at least ten days before the meeting. The Chairperson may, however, permit inclusion of any item for which due notice has not been received.
- (7) The ruling of the Chairperson with regard to all questions of procedure shall be final.
- (8) All questions considered at meetings of the council shall be decided by means of a consensus or an affirmative vote of a majority of members present including the Chairperson. If the votes be equally divided, the Chairperson shall have and will cast a second vote.
- (9) The minutes of the proceedings of the General Council shall be drawn up by the Secretary of the Council and circulated to all members of the Council. The minutes, along with any comments or amendments suggested by the members, shall be placed for confirmation at the next meeting of the Council. After the minutes are confirmed and signed by the Chairperson they shall be recorded in a minute book.
- (10) Any resolution except such as may by placed before a meeting of the Council may be adopted by circulation among all its members and any resolution so circulated and adopted by a majority of the members who have signified their approval or disapproval of such a resolution shall be as effective and binding as if such a resolution has been passed at a meeting of the Council.

4. THE BOARD

- (1) A member of the Board shall cease to be a member of the Board if he (a) dies, or (b) resigns his membership, or (c) becomes of unsound mind, or (d) becomes insolvent, or (e) is convicted in a criminal offence involving moral turpitude, or (f) if he is removed by the nominating organization from membership of the Board, or (g) if, other than in the case of the Director, he accepts a full time appointment in the Institute, or (h) if he fails to attend three consecutive meetings of the Board without leave of absence of the President.
- (2) A member of the Board may resign his membership of the Board by a letter addressed to the President who shall forward it to the concerned nominating authority with his recommendation, and resignation shall take effect from the date it is accepted by the

- nominating authority. In case the President desires to resign, he shall address his letter of resignation to the Central Government, and his resignation shall be effective from the date it is accepted by the Central Government.
- (3) The Registrar of the Institute shall act as the Secretary of the Board in an ex-officio capacity.
- (4) Bodies or individuals entitled to nominate representatives on the Board shall be invited by the Secretary of the Board to do so within a reasonable time not ordinarily exceeding eight weeks from the date of issue of such invitation. The same procedure shall be followed for filling casual vacancies on the Board.
- (5) The President in his capacity as Chairperson of the Board shall have the power to invite any person not a member of the Board of Governor to attend a meeting of the Board but such invitee shall not be entitled to vote at such a meeting.

5. MEETING OF THE BOARD

- (l) The Board shall ordinarily meet four times during a calendar year. However there shall not be a gap of more than three months between two consecutive meetings.
- (2) Meetings of the Board shall be convened by the President in his capacity as the Chairperson of the Board either on his own initiative or on the request of the Director or on a requisition signed by not less than one-third the existing members of the Board including the President with any fraction rounded off to the next higher number.
- (3) One-third of the Board including the President (fraction being rounded off to the next higher number) shall be the quorum for a meeting of the Board.
- (4) All questions considered at the meetings of the Board shall be decided by means of a consensus or an affirmative vote of a majority of the members present including the President. If the votes were equally divided, the President shall have a second or casting vote
- (5) The President, if present, shall preside over every meeting of the Board:

Provided that in the absence of the president, the members present shall elect a member from amongst themselves to preside at the meeting.

(6) The Registrar of the Institute shall send a written notice of every meeting in his capacity as the Secretary of the board to every meniber at least three weeks before the date of the meeting. The notice shall state the place, the date and time of the meeting:

Provided that the President may call a special or emergency meeting of the Board at short notice to consider urgent special issues:

Provided further that whenever notice of a meeting is required to be given to any person under provisions of the Act, or of these Statutes, it shall be given in writing to such person either personally or by sending a copy thereof by registered mail or speed post or courier service charges pre-paid, or by facsimile or electronic mail, to the person's address, electronic address, or facsimile number appearing on the books of the Institute. If the notice is sent by mail, it shall be deemed to have been given to the person entitled thereto when deposited in the Indian Post and Telegraph mail or with a courier service for delivery to that person. A notice of meeting shall specify the place, day, and hour of the meeting and any other information required by the Act or these Statutes.

- (7) The agenda for all meetings, except those convened at short notice as referred to in substatute (6), shall be sent to all members of the Board at least seven days before the date of the meeting. However, in the case of special or emergency meetings mere mention of the special issue shall suffice in lieu of the agenda. The agenda may be sent electronically.
- (8) Notices of motions for inclusion of any item on the agenda must reach the Secretary of the Board at least ten days before the meeting:

Provided that the President may, permit inclusion of any item for which due notice has not been received.

- (9) The ruling of the President with regard to all questions of procedure shall be final.
- (10) The minutes of the proceedings of a meeting of the Board shall be drawn up by the Registrar of the Institute in his capacity as Secretary of the Board and circulated to all members of the Board. The minutes, along with any amendments suggested, shall be placed for conformation at the next meeting of the Board.

After the minutes are confirmed and signed by the President, they shall be recorded in a minute book.

- (11) The minute book shall be kept open for inspection of the members of the Board at all times during office hours.
- (12) Any resolution except such as may be placed before a meeting of the Board may be adopted by circulation among all its members and any resolution so circulated and adopted by a majority of the members who have signified their approval or disapproval of such a resolution shall be as effective and binding as if such a resolution has been passed at a meeting of the Board.
- (13) If there is no quorum at the expiration of fifteen minutes after the time fixed for a meeting, the meeting may be adjourned to such a date as the President may fix. No quorum shall be necessary for a meeting adjourned for want of quorum.
- (14) With electronics media all prevalent and easily available, members can participate in a meeting by audio, video or web based systems as available in their organisations or in a studio in their city, the payment for which will be reimbursed by the Institute. This has all the advantages of saving time, overall cost and more members participating, reducing the need for adjourning a meeting. This would facilitate induction of international members as well.

6. AUTHENTICATION OF ORDERS AND DECISION OF THE BOARD

All orders and decisions of the Board shall be authenticated by the signature of the Registrar in his capacity as Secretary of the Board or any person authorized by the Board in this behalf by a resolution of the Board.

7. COMPOSITIONAND TENURE OF THE SENATE

- (1) The Senate shall consist of the following members:
 - (a) the Director, ex-officio Chairperson of the Senate;
 - (b) the Deputy Director, ex-officio;
 - (c) the Deans of the Institute, ex-officio;
 - (d) twenty five Professors representing all the departments of the Institute on rotation basis for tenure of two years;

- (e) the Heads of Departments and Research Centre, ex-officio;
- (f) up to three eminent experts in the domain of Petroleum and Energy having specialized knowledge or operational experience in respect of education, research, engineering and technology, to be nominated by the President in consultation with the Director; and
- (2) All members of the Senate, other than those in an ex-officio capacity, shall serve as members for a term of two years from the date of their nomination.
- (3) An ex-officio member shall cease to be a member of the Senate as soon as he vacates the office by virtue of which he is a member of the Senate.
- (4) Notwithstanding the provisions of sub-statute (2) aforesaid, a member nominated to fill a casual vacancy shall continue as a member for the remainder of the term of the member in whose place he has been nominated.
- (5) No employee of the Institute shall be eligible to be a member of the Senate under clause (f) of sub-statute (1) aforesaid.
- (6) The Director in his capacity as Chairperson of the Senate shall have the power to invite any person not a member of the Senate to a meeting of the Senate but such invitee shall not be entitled to vote at such a meeting.
- (7) The Registrar of the Institute shall act as the Secretary of the Senate in an ex-officio capacity.

7. POWERS OF THE SENATE

Subject to the provisions of the Act, the Senate shall have the powers,—

- frame and revise curricula and syllabi for the courses of studies for the various academic programmes of the Institute;
- (2) give directions regarding methods of instruction, co-operative teaching among departments and centre, evaluation of research and improvement of academic standards;
- make arrangements for the conduct of examinations; appoint examiners, moderators, tabulators and the like;

- (4) declare the results of the examinations or to appoint committees or officers to do so and to make recommendations regarding the conferment or grant of degrees, diplomas, certificates and other academic distinctions and titles;
- (5) frame Ordinances for matters for which Ordinances are to be provided as may be specified by the Act and Statutes of the Institute;
- (6) appoint Advisory Committees or Expert Committees or both for Departments, Research Centre and Central Academic Facilities or Units to make recommendations on any academic matter connected with their working;
- (7) appoint Committees from amongst members of the Senate, other academic staff of the Institute and experts from outside to advise on such specific academic matter as may be referred to any such committee by the Senate;
- (8) consider recommendations of the Advisory or Expert or other Committees appointed under sub-statutes (7) and (8) and take such action including the making of recommendations to the Board as circumstances of each case may require;
- (9) make periodical review of the activities of departments, research centres and central academic facilities or units and take appropriate action including the making of recommendations to the Board;
- (10) supervise the working of the library, the computer centre and other central academic facilities or units;
- promote research and consultancy practice within the Institute and the dissemination of knowledge so generated to the community;
- (12) provide for inspection of the classes and the hostels and halls of student residences in respect of the instructions and discipline therein, supervise the co-curricular activities of the students of the Institute and submit reports thereon to the Board;
- (13) arrange psychological counseling and mentoring programs for the benefit of students of the Institute;

- (14) award stipends, scholarships, medals and prizes and make other awards in accordance with the Ordinances and such other conditions as may be attached to the particular awards;
- (15) make recommendations to the Board with regard to (i) fees and other charges for programs of study at the Institute and for residence in the students hostels and halls of residence; (ii) admission of students to various academic programs of the Institute; (iii) the creation of posts on the academic staff and their abolition thereof; and (iv) the emoluments and duties attached to such posts;
- (16) recommend to the Board of Governors names for the award of honorary degrees to eminent persons in academics, science, technology, industry, arts, sports, literature, social service and other areas.

9. MEETINGS OF THE SENATE

- The Senate shall meet as often as is necessary but not less than four times during a calendar year.
- (2) The Director shall convene meetings of the Senate in his capacity as the Chairperson of the Senate, either on his own initiative or on a requisition signed by not less than five members or 20 per cent of the members, whichever is higher, of the Senate. A requisitioned meeting shall be a special meeting to discuss only those items of agenda for which the requisition has been made. The Chairperson of the Senate shall convene the requisitioned meeting on a date and time convenient to him within fifteen days of the submission of such a requisition.
- (3) One-third of Senate including the Chairperson (fraction being rounded off to the next higher number) shall be the quorum for a meeting of the Senate.
- (4) The Director, if present, shall preside over every meeting of the Senate:
 - Provided that in the absence of Director, Deputy Director shall preside and in the absence of both the Director and the Deputy Director the senior most professor shall preside at the meeting.
- (5) The Secretary of the Senate shall send a written notice of every meeting to the members

of the Senate at least two weeks before the meeting. The notice shall state the date, time and place of the meeting:

Provided, however, that the Chairperson of the Senate may call a special or emergency meeting of the Senate at short notice to consider urgent special issues:

Provided further that whenever notice of a meeting is required to be given to any person under provisions of the Act, or of these Statutes, it shall be given in writing to such person either personally or by sending a copy thereof by registered mail or speed post or courier service charges pre-paid, or by facsimile or electronic mail, to the person's address, electronic address, or facsimile number appearing on the books of the Institute. If the notice is sent by mail, it shall be deemed to have been given to the person entitled thereto when deposited in the Indian Post and Telegraph mail or with a courier service for delivery to that person. A notice of meeting shall specify the place, day, and hour of the meeting and any other information required by the Act or these Statutes.

- (6) The agenda for all meetings, except those convened at short notice as referred to in substatute (5), shall be sent to all members such that it is in their hands at least one week before the date of the meeting. Provided, however, that in the case of special or emergency meetings mere mention of the special issue to be considered shall suffice in lieu of the detailed item note.
- (7) Notices of motions for inclusion of items on the agenda, if any, together with the detailed item note should be communicated by individual members to the Secretary of the Senate at least ten days before the date of the meeting. Provided, however, the Chairperson of the Senate may permit inclusion of any item for which either due notice has been given or for which notice has not been given beyond the deadline stipulated aforesaid.
- (8) At any meeting of the Senate, decisions shall be formalized by means of either a consensus or an affirmative vote of a majority of members present including the Chairperson of the Senate. If the votes be equally divided, the Chairperson shall have and will cast a second.

- (9) The ruling of the Chairperson of the Senate with regard to all questions of procedure shall be final.
- (10) A decision once taken by the Senate shall not normally be re-opened within one year from the date of the decision:
 - Provided that the Chairperson of the Senate may move to reconsider the matter within the year under exceptional circumstances.
- (11) The minutes of the proceedings of a meeting of the Senate shall be drawn up by the Secretary of the Senate and circulated within three working days to all members of the Senate present in India, provided that any such minutes shall not be circulated if the Senate considers such circulation as being prejudicial to the interest of Institute. The minutes will be finalized within the next three days, with or without the members' comments. The minutes, along with amendments, if any, suggested by members shall be placed for confirmation at the next meeting of the Senate. After the minutes are confirmed and signed by the Chairperson of the Senate they shall be recorded in a minute book which shall be open for inspection by members of the Senate and the Board of Governor at all times during office hours.
- (12) A copy of the agenda and minutes of every meeting of the Senate shall be placed before the Board for its information and consideration after the Senate has confirmed the same. Any decision or recommendation of the Senate that requires approval of the Board shall be separately highlighted.
- (13) If a non-ex-officio member fails to attend three consecutive meetings of the Senate without leave of absence of the Chairperson of the Senate he shall cease to be a member of the Senate.
- (14) Proposals relating to matters requiring immediate action may be circulated to members of the Senate with the approval of the Director:
 - Provided that where five members of the Senate are not in favour of such a proposal or where five members desire that the matter under circulation be discussed at a meeting, a

special meeting may be called for the purpose or the matter be placed before the next regular meeting of the senate and no action thereon shall be taken in the meantime:

Provided further that all matters circulated to the Senate between meeting and the decisions arrived at shall be reported at the next meeting of the Senate for confirmation.

10. THE FINANCE COMMITTEE

- (1) There shall be a Finance Committee which shall be a standing committee of the Board and also an authority of the Institute within the meaning of section 14 of the Act consisting of the following members, namely:-
 - the President of the Board of Governors, ex-officio Chairperson;
 - (ii) one nominee of the Ministry of Petroleum and Natural Gas having expertise in Financial Management;
 - (iii) one nominee of the General Council, having expertise in Financial Management;
 - (iv) two persons nominated by the Board from amongst its members with at least one having affiliation with a promoting company; and
 - (v) the Director, ex-officio member.
- (2) The Committee shall broadly be empowered to advise and make recommendations to the Board on all financial matters impacting the functioning of the Institute including review of its financial performance; examination of the annual budget estimate, the annual statement of accounts and the audit report thereto; the preparation of the balance sheet; guiding resource mobilization and investment management strategies; and such other matters in relation to financial management as the Board may entrust to it from time to time.
- (3) The committee shall meet at least twice in a calendar year.
- (4) The term of office of members nominated under items (ii) and (iii) of sub-statute (1) shall be specified by the nominating authority at the time of their nomination.

- (5) Three members of the Committee shall constitute a quorum for a meeting of the Committee.
- (6) The President, if present, shall preside over meetings of the Committee. In his absence, the Director shall preside over the meeting. If neither is present, the meeting shall be adjourned to a later date.
- (7) The Registrar of the Institute shall act as the Secretary of the Committee in an ex-officio capacity.
 - (8) The provisions in these Statutes regarding notice of meetings, inclusion of items on the agenda and confirmation of the minutes applicable for meetings of the Board shall be followed, as far as possible, in connection with meetings of the Committee.
 - (9) A copy of the agenda and minutes of every meeting of the Committee shall be placed before the Board for its information after the same.

11. THE PRESIDENT

- (1) The President shall be appointed by the Central Government on the recommendation of a five-member Search Committee set up by the Central Government and consisting of:
 - (a) The Chairperson of the General Council who shall also be the Convener of the Committee;
 - (b) Two representatives of the promoting companies who are contributing for the endowment fund, at the level of Chairman and Managing Director nominated by the General Council; and
 - (c) Two members of the Board of Governor nominated by it.
- (2) The President shall normally be an individual who has gained distinction in his professional life and preferably has academic, research or operational experience in the broad domain of petroleum technology including energy and hydrocarbon development. In addition he should be an individual who has a true understanding of the nature of professional education and commands public confidence.
- (3) The President shall hold office for a term of three years.
- (4) The President may, in emergent cases, exercise the powers of the Board of Governor and subsequently inform the Board of the action taken by him on its behalf for its approval.

12. THE DIRECTOR

- (1) The Director shall be a whole time salaried officer of the Institute.
- (2) The Director shall normally be an individual who is an internationally and / or nationally acknowledged academic leader with experience in the domain of the petroleum and energy sector, who fulfills the academic and experience requirements as pertinent to the post of Director at an Indian Institute of Technology, and has a demonstrated track record of being a visionary and an inspirational leader.
- (3) The Director shall be appointed by the Minister of Petroleum and Natural Gas on the recommendation of a five-member Search Committee set-up by the Board of Governor and consisting of:
 - the Chairperson of the General Council, ex-officio, who shall preside over the meeting
 - (ii) the President, ex-officio, who shall also be the Convener of the Committee;
 - (iii) the Director of Indian Institute of Technology, Kanpur
 - (iv) the Director of Indian Institute of Sciences, Bangalore
 - (v) one representative of the promoting companies at the level of Chairman and Managing Director nominated by the General Council;
- (4) The Director shall be appointed on contract basis for a period of five years or till the time he/she superannuates. The retirement age will be seventy years. However, at the time of appointment, it should be ensured that the appointee has a minimum of three years to serve as the Director:
 - Provided that the Minister of Petroleum and Natural Gas may direct that a Director, whose term has expired, to continue in office for such period, not exceeding a total period of one year, as may be specified in the direction.
- (5) Where a vacancy in the office of the Director occurs due to death, resignation, retirement or otherwise and it cannot be conveniently filled in accordance to the provisions of substatute 3, the President may, under intimation to the Ministry of Petroleum and Natural Gas, Government of India, appoint the Deputy

Director, or if there is more than one Deputy Director, the senior-most Deputy Director to perform the duties of the Director until a new Director appointed in accordance with prescribed Statutory provisions assumes office:

Provided that if a Deputy Director is not available, the senior-most Dean or the senior-most Professor present shall be appointed to perform the duties of the Director until a new Director assumes office.

(6) The terms and conditions of service of the Director, including the salary and other allowances admissible to him, shall be such as may be prescribed by the Board of Governor from time to time.

13. POWERS AND DUTIES OF THE DIRECTOR

- (1) Subject to budget provisions made for a specific purpose, the Director shall have the power to incur expenditure in accordance with the procedure as may be laid down by the Board from time to time.
- (2) The Director shall have the power to appropriate funds with respect to different items constituting the recurring budget up to a monetary limit for each item as may be laid down by the Board, from time to time:

Provided that such appropriation shall not involve increase in the budget and any liability in future years:

Provided further that every such appropriation shall, as soon as possible, be reported to the Board.

- (3) The Director shall have the power to waive recovery of any over-payment made to a member of the staff, which is not detected within twenty-four months from the date of payment up to monetary limit that may be laid down by the Board from time to time. Every such waiver shall, as soon as possible, be reported to the Board.
- (4) The Director, where he is the appointing authority, shall have the power to write off irrecoverable losses and irrecoverable value of stores items lost or rendered unserviceable due to normal wear and tear subject to such stipulations as to monetary limits that may be laid down by the Board from time to time.
- (5) The Director, where he is the appointing authority shall have the power to fix, on the recommendations of the Selection Committee,

the initial pay of an incumbent at a stage higher than the minimum of the scale, but not involving more than five increments, in respect of posts to which appointment can be made by him under the powers vested in him by the provisions of the Act.

- (6) The Director shall have the power to employ technicians and workmen paid from contingencies involving emoluments not exceeding the Central Government approved daily wage rates.
- (7) The Director shall have the power to send members of the staff for training or to attend course of instruction inside India subject to such terms and conditions as may be decided by the Board from time to time.
- (8) The Director shall have the power to sanction remission or reduction of rent for buildings rendered wholly or partially unsuitable.
- (9) The Director shall have the power to sanction temporary allocation of any building for any purpose other than that for which it was constructed.
- (10) In exceptional cases, subject to availability of funds, the Director shall have the power to create temporary posts with the approval of the President, for not more than two years' duration on approved scales of pay under report to the Board provided that no such post, of which the Director is not the appointing authority, shall be so created.
- (11) The Director shall have the power of a Head of Department in the Government for purposes of rules in the Account Code, the Fundamental and Supplementary Rules and other rules of the Government of India in so far as they are applicable or may be made applicable to the conduct of the business of the Institute.
- (12) If, for any reason, the Registrar is temporarily absent for a period not exceeding one month, the Director may take over or assign to any member of the staff of the Institute, any of the functions of the Registrar as he deems fit:

Provided that if, at any time, the temporary absence of the Registrar exceeds one month the Board may, if it thinks fit, authorise the Director to take over or assign the function of the Registrar as aforesaid, for a period exceeding one month.

(13) All contracts for and on behalf of the Institute, except the one between the Institute and the

Director shall, when authorised by a resolution of the Board passed in that behalf, be in writing and be expressed to be made in the name of the Institute, and every such contract shall be executed on behalf of the Institute by the Director, but the Director shall not be personally liable in respect of anything under such contract.

- (14) The Director may, during his absence from headquarters, authorise the Deputy Director or one of the Deputy Directors if there is more than one Deputy Director or one of the Deans or the senior most Professor present, to sanction advances for travelling allowance, contingencies and medical treatment of the staff and countersign bills on his behalf and authorize him for assuming such powers of the Director as may be specifically delegated to one of the Deputy Directors, or one of the Deans or the senior most Professor by him in writing.
 - (15) The Director may, at his discretion, constitute such Committees as he may consider appropriate.
 - in the event of the occurrence of any vacancy in the office of the President by reason of his death, resignation, or otherwise or in the event of the President being unable to discharge his functions owing to absence, illness or any other cause, the Director may also discharge the functions assigned to the President under section 19 of the Act.
 - (17) The Director may, with the approval of the Board, delegate any of the powers, responsibilities and authorities vested in him by the Act and Statutes to one or more members of the academic or administrative staff of the Institute.
 - (18) On matters requiring immediate action, the Director shall take such action as he deems necessary, and shall thereafter report the action taken to such authority or body as would have in the ordinary course dealt with the matter.

14. DEPUTY DIRECTOR

(1) The appointment of the Deputy Director shall be made by the Board on the recommendation of the Selection Committee constituted by the Board consisting of at least five members including the Chairman who are experts in the field of petroleum technology at National and International Level.

- (2) The appointment shall be for a period of three years initially which may be extended by two time for one year each on recommendation of the Board.
- (3) The Deputy Director shall be governed by the terms and conditions of the Contract of Service entered into between the Institute and the Deputy Director.
- (4) The Deputy Director shall have all the powers of the Director during the vacancy in the post of Director of the Institute.
- (5) The Deputy Director shall assist the Director in academic and administrative work and in maintaining liaison with other institutions of higher learning and research, and also with industrial undertakings and other employers.

15. REGISTRAR

- (1) The Registrar shall be appointed by the Board on the recommendation of a Selection Committee constituted for the purpose by the Board.
- (2) The emoluments and other terms of conditions of service of the Registrar, including the age of superannuation, shall be such as may be prescribed by the Board from time to time.
- (3) When the office of the Registrar is vacant or when the Registrar is, by reason of illness, absence or any other cause, unable to perform the duties of his office, the duties of the office shall be performed by such person as the Director may appoint for the purpose.
- (4) The Registrar shall serve as the ex-officio Secretary of the General Council, the Board of Governor, the Senate, the Finance Committee, but shall not be deemed to be a member of any of these authorities.
- (5) It shall be the duty of the Registrar:
 - to be the custodian of the records, the common seal and such other property of the Institute as the Board of Governor may commit to his charge;
 - (b) to issue notices convening meetings of the various authorities of the Institute of which he is the ex-officio Secretary as well as of any Committee appointed by these authorities;
 - (c) to circulate agenda items, prepare minutes and circulate them after the approval of the Director

- (d) to keep minutes of all meetings of the various authorities of the Institute of which he is the ex-officio Secretary as well as of any Committee appointed by these authorities;
- (e) to conduct official correspondence on behalf of the authorities of the Institute;
- (f) to supply to the Central Government, copies of the agenda of meetings of the authorities of the Institute as soon as they are issued and thereafter the minutes of such meetings;
- (g) to represent the Institute in law suits or legal proceedings by or against the Institute, sign powers of attorney and verify pleadings or depute his representative for the purpose; and
- (h) to perform such other duties as may be specified in the Statutes, the Ordinances or the Regulations of the Institute or as may be assigned to him, from time to time, by the Board of Governor or the Director.
- (6) The Registrar shall be responsible to the Director for the proper discharge of his duties.

16. THE DEANS

Deans shall be appointed by the Board on the recommendations of the Director from amongst the Professors of the Institute, to assist the Director in specific areas of academic and administrative management, in addition to his own duties as a professor.

17. CADRE STRUCTURE AND QUALIFICATION OF TEACHERS AND OTHER STAFF

The cadre structure and qualifications of the teaching and research faculty shall be as may be prescribed from time to time by the Board which may take into account the standards followed by the Indian Institutes of Technology.

18. CLASSIFICATION OF MEMBERS OF THE STAFF

- (1) Except in the case of employees paid from contingencies all members of staff of the Institute shall be classified under:
 - (a) Academic Staff:—which term shall include the Director, Deputy Director, Professor, Associate Professor, Assistant Professor, Research Scientist/ Engineer (with prefix of Chief/Principal/ Senior for higher cadre levels) Librarian, Deputy Librarian and Assistant Librarian.

- (b) Technical Staff:—which term shall include Workshop Superintendent, Assistant Workshop Superintendent, Chief Technology Officer, Technology Officer, Assistant Technology Officer, Operations/Systems Manager, Systems Programmer, Programmer, Foreman, Technical Assistant, Laboratory Assistant, Mechanic, Horticulture Assistant, Draftsman, Institute Engineer, Physical Training Instructor, Resident Engineer and Assistant Resident Engineer and Research Associate.
- (c) Administrative and Other Staff:—which term shall include the Registrar, Senior Administration Officer, Administration Officer, Assistant Administration Officer, Finance Officer, Chief Accounts Officer, Accounts Officer, Superintendent, Steno-Typist, Office Assistant, Medical Officer, Pharmacist, Nurses and Caretaker.

19. APPOINTMENTS

(1) There shall be a Selection Committee appointed by the Board or by the Director in case so delegated by the Board, for making recommendations to the competent appointing authority, as prescribed in section 28 of the Act, for making direct recruitment against a sanctioned post of the Institute as well as for placement/promotion of an existing employee to a higher post under any Career Advancement Scheme/Merit Promotion Scheme that may be adopted or promulgated by the Board.

The manner of selections shall be governed by the Ordinances.

Notwithstanding anything contained in these Statutes hereinabove, the Board may, on the recommendation of the Director, invite a person of high academic distinction and professional attainment to accept a post of Professor or Associate Professor or equivalent post in the Research Faculty cadre in the Institute, against a sanctioned position, on such terms and conditions as it deems fit.

(2) Government of India policies with respect to reservations for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other Backward Classes for non-academic staff as may be approved by the Board for adoption at the Institute shall be taken into consideration while making direct recruitment.

20. TERMS AND CONDITIONS OF SERVICE OF PERMANENT EMPLOYEES

All employees of the Institute shall be governed by terms and conditions of service as specified in these Statutes and the Ordinances of the Institute.

21. PROCEDURE FOR ARBITRATION

- (1) Under section 34 of the Act, any employee who is in dispute with the Institute as a result of the provision(s) of his contract of employment with the Institute may submit to the Registrar in writing for reference of the concerned dispute to a Tribunal of Arbitration.
- (2) Upon receipt of the written submission for reference of the dispute to the Tribunal of Arbitration the Registrar shall cause the constitution of the Tribunal of Arbitration as laid down in sub-section (l) of section 34 of the Act.
- (3) The procedure to be followed by the Tribunal of Arbitration shall be as laid down in the Arbitration and Conciliation Act, 1996.

22. DELEGATION OF POWERS

Subject to the provisions of the Act and the Statutes of the Institute, any officer or authority of the Institute may delegate his or its powers to any other officer or authority or person under his or its respective control and subject to the condition that overall responsibility for the exercise of the powers so delegated shall continue to vest in the officer or authority delegating such powers.

23. WITHDRAWAL OF DEGREES, DIPLOMAS, ETC.

The Board may, on the recommendation of the Senate, by a special resolution passed by a majority of not less than two-thirds of the members present and voting, withdraw any degree or academic distinction conferred on, or any certificate or diploma awarded by the Institute for good and sufficient cause:

Provided that no such resolution shall be passed until a notice has been given to that person calling upon him to show cause within such time as may be specified in the notice why such a resolution should not be passed and until his objections, if any, and any evidence he may produce in support of them, have been considered by the Board.

24. CONFERMENT AND WITHDRAWAL OF HONORARY DEGREES

- The Board may, on the recommendation of the Senate, approve the conferment of honorary degrees.
- (2) The Board may, on the recommendation of the Senate, by a resolution passed by a majority of not less than two-thirds of the members present and voting, withdraw for

good and sufficient reasons, any honorary degree conferred by the Institute.

25. FACULTIES OF STUDY

- (l) When fully functional, the academic activities at the Institute shall be organized under the aegis of the following faculties of study:
 - a. Faculty of Engineering and Technology;
 - b. Faculty of Management Studies;
 - c. Faculty of Applied Sciences and Humanities.
 - d. Any other faculties as approved by the Board.
- (2) The Faculties of Studies provided under substatutes (1) hereinabove shall be responsible for imparting instruction and undertaking academic research in appropriate branches of learning, within the ambit of the Institute, at the baccalaureate, master's, postgraduate diploma and doctoral levels.
- (3) Each of the Faculties under sub-statute (1) above shall have a number of constituent divisions classified under the following heads:
 - a. Departments whose primary activities shall be disciplinary and inter-disciplinary teaching and academic research;
 - b. Centres of Research whose primary activities shall be to carry out sponsored Research and Development in areas of industrial and national thrust leading to transfer of technology to the user system; and
 - c. Central Academic Service Facilities or Units whose primary activity shall be the management of specific academic facilities needed by the students and faculty of more than one department / research centre.
- (4) The Board, on the recommendation of the Senate, shall have the power to establish or abolish one or more department or centre of research or central academic service facility or unit.
- (5) As the Head of the Faculty, the Chairman of the Faculty of Studies shall be responsible for coordination of the teaching and research activities of the departments and research centres that are constituent units of the respective Faculty of Studies and for maintenance of the teaching and research standards. He shall also perform such other duties as may be assigned to him by the Director.
- (6) Each of the constituent divisions of a Faculty of Studies as provided under sub-statute (3) shall be headed by a Head who shall be

appointed by the Director in the manner indicated hereunder in the Statutes and every such Head shall be deemed to be an officer of the Institute within the meaning of section 22 of the Act.

- (7) Each such Head in the case of a Department shall be appointed, from amongst the Professors and Associate Professors of the concerned Department by the Director after individual consultations with the members of the faculty of the concerned Department. Likewise, in the case of Centres of Research the Head shall be appointed from amongst the Professors and Associate Professors and equivalent Research Scientists or Engineers of the concerned Centre after individual consultation with the members of the faculty of the concerned Centre.
- (8) In the case of Central Academic Service Facilities or Units, the Head shall be appointed by the Director from amongst Institute faculty or technical staff having the appropriate expertise.
- (9) Notwithstanding the provisions in sub-statute (5), when in the opinion of the Director the situation so demands, the Director may himself take temporary charge of a Department or Centre of Research or place it under the charge of the Deputy Director or the Chairman of the concerned Faculty of Studies or a Professor or Chief Scientist or Engineer from another Department or Centre of Research for a period not exceeding six months.
- (10) The term of office of a Head shall be three years from the date on which he enters upon his office and shall be eligible for a re-appointment.
- (11) The Head shall be responsible for the entire working of the particular academic division for which he is the Head subject to the general control of the Director. Furthermore, it shall be the duty of the Head to see that decisions of the authorities of the Institute and of the Director, as may be applicable to the academic division under his charge, are faithfully carried out. He shall also perform such other duties as may be assigned to him by the Director.

26. GIFTS TO THE INSTITUTE

Gift acceptance, Gift processing, Donor rights, Management of funds, Government matching grant, Gift purpose, Naming opportunities shall be as per the Regulations approved by the Board of Governors.

27. DISCIPLINE WITH RESPECT TO THE STUDENTS

Disciplinary powers, circumstances giving use to disciplinary proceedings, Summary action, Appeals,

Notice of Decisions, Liability of the Institute and the like shall be as per the procedures laid down by the Senate

28. RESEARCH CENTRE

A Research Centre shall be established by the Institute with the approval of the Senate, on its own or jointly with government, academic and/or industrial partners, as the need arises. The Research Centre shall function as set out by the Senate and with a high degree of autonomy.

The mission of an Research Centre shall be to mount major research and development effort to develop excellence in identified research areas, which are of multi-disciplinary nature and not readily manageable by a single Faculty or Department

The Director may constitute an Advisory Board of national and international experts to provide advice on issues related to research and to periodically review the progress made.

An Research Centre will be headed by a Dean appointed by the Director.

29. INDEMNITY

- (a) The honorary officers, members of the Council, members of Committees or Sub-Committees, Director, auditors and other senior staff of the Institute may be indemnified out of the funds of the Institute against any expenses or liability incurred by them in or about the discharge of their respective duties;
- (b) The indemnification provided by or pursuant to these Statutes shall continue as to a person who has ceased to be a trustee, officer or member of the Investment Board or other indemnified person and shall inure to the benefit of the heirs, executors or administrators of such a person.

30. LIABILITY OF THE INSTITUTE

The Institute, its officers, or any other person or entity associated with them shall have no liability whatsoever for any losses, damages, claims, legal costs or other expenses that a person concerned may suffer or incur, whether directly or indirectly (including any loss of profit or any damage to reputation) by reason of any disciplinary proceedings instituted or summary action of disciplinary action taken pursuant to this statute and the publication or notification of any information relating thereto.

[File No. R-42024/21/2008-MC] SUNIL JAIN, Jt. Secy.